नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश– 173208 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रारम्भिक**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन (एल0ए0) खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी प्रधान व सचिव के पद पर कार्यरत रहेः–

(i) प्रधान

क्र0सं0	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री अनुज गुप्ता	01.04.2022 से 29.08.2022
2	श्री हेमेन्द्र गुप्ता	07.10.2022 से 31.03.2023

(ii) सचिव एवं आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री अभिनव शर्मा	01.04.2022 से 13.10.2022
2	श्री अजय गर्ग	14.10.2022 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (₹ लाखों में)
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6.1.2	160.46
2	दिनांक 01.04.2022 से पूर्व प्राप्त अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	6.1.3	43.53
4	गृहकर का बकाया वसूली हेतु शेष	10.1.1	40.89

5	दुकानों के बकाया, सफाई शुल्क, मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष		
6	नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत निधि से "मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका योजना" की मद में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का शेष पाया जाना	14.1	6.30
7	नगर पंचायत द्वारा "एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) के वापिस खरीद पॉलिसी (Buy Back Policy) की मद में व्यय की प्रतिपूर्ति का शेष पाया जाना	14.2	10.72
8	नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा बिजली बिलों में माँग किये गये एनर्जी शुल्क, लाईन मुरम्मत शुल्क व देरी से भुगतान शुल्क (Energy Charges, Line Maintenance Charges, Late Payment Charges) के लिये अनियमित भुगतान करना	14.3	5.00
9	बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा माँग किये गये शेष शुल्क (Outstanding Charges) अनियमित भुगतान करना	14.4	1367

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि सचिव से अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व ही अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 द्वारा लम्बित पैरो की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु अनुरोध भी किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण में बार–बार अनुरोध करने पर 04/1967 से लेकर 31/03/2022 तक के कुल 534 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से 74 पर अपेक्षित अनुपालना करके अंकेक्षण दल के पास सत्यापन करवाया गया। परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 460 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की

गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों पर अपेक्षित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत अर्की के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 06.12.2023 से 18.12.2023 व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 20.11.2023 से 18.12.2023 तक नगर पंचायत कार्यालय में सम्पन्न किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 08/2022 तथा व्यय के लिए माह 09/2022 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के लिये आगामी अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त भी अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण (Disclaimer): "यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।"

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर पंचायत के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण का शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹24,800/— आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग—शिमला/2023/—327 दिनांकः 15/12/2023 द्वारा सचिव, नगर पंचायत अर्की से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला—171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से प्रेषित करने का आग्रह किया गया था।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद् अधिनियम—1994 के अन्तर्गत तथा नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना

संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांक: 30/10/2023 द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator))	प्रस्तुत नहीं की गई

5. वित्तीय स्थिति

(5.1.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांक: 30/10/2023 के सन्दर्भ मे **परिशिष्ट "2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

वित्त वर्ष 2022–23

शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वःस्त्रोत	3109437.02	22111313.00	590195.00	25810945.02	12854250.05	12956694.97
अनुदान	16996021.44	25640478.00	0.00	42636499.44	26590465.00	16046034.44

पैन्शन	609885.00	0.00	17100.00	626985.00	0.00	626985.00
कुल	20715343.46	47751791.00	607295.00	69074429.46	39444715.05	29629714.41

(5.1.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर पंचायत के पास बैंक निवेश व बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण

विवरण	कुल राशि (₹)
नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 को सावधि जमा में निवेशित राशि (विवरण **परिशिष्ट "3"** में उपलब्ध):–	6000000
पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 को बैंक बचत खातों मे जमा राशि का विवरण निम्नानुसार (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "4"** में उपलब्ध):–	
1 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100012763	2453074.34
2 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100046487	6619140.73
3 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100042551	5752.00
4 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100045752	1967.00
5 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100046353	6770710.00
6 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100046362	88333.00
7 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100049457	5293.00
8 पंजाब नैशनल बैंक अर्की 6518000100049457	1.00
9 आई सी आई सी आई बैंक दाडलाघाट 367201000548	45498.00
10 जोगिन्द्रा के०सह० बैंक अर्की 100134001003752	626985.00
11 जोगिन्द्रा के०सह० बैंक अर्की 100134001004625	865611.00
12 यूको बैंक अर्की 03920100009843	314527.47
13 भारतीय स्टेट बैंक अर्की 55136118262	5434723.82
14 एच०डी०एफ०सी० बैंक कुनिहार 50100228105010	261440.55
15 डाकघर अर्की 239333	1523.50
16 नेम चन्द	15000.00
17 रमेश चन्द	42000.00
बचत खातों के अन्तशेष का कुल योग	**23551580.41**

सावधि निवेश तथा बचत खातों के शेष के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को कुल जमा राशिः–		**29551580.41**

(5.1.3) **बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "4")**

1	**रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष**		29629714.41
2	– **घटावः–** भारती इन्फाटैल लिमेडिट द्वारा डिमॉड ड्राफ्ट संख्या 295136 दिनांक 30.01.2017 द्वारा टॉवर फीस जमा करवाई थी जिसके लिये रसीद संख्या 50/0060 दिनांक 27.04.2017 को जारी की गई। परन्तु तकनीकी कारणो से बैंक द्वारा इस राशि को खाते में जमा जमा नही किया था।	–6250	
3	– **घटावः–** श्री सुनील कुमार द्वारा बैंक संख्या 295136 दिनांक 22.03.2021 द्वारा पार्किंग फीस जमा करवाई थी जिसके लिये रसीद संख्या 113/0025 दिनांक 22.03.2021 जारी की गई। परन्तु तकनीकी कारणों से बैंक द्वारा इस राशि को खाते में जमा जमा नही किया था।	–60364	
4	– **घटावः–** दिनांक 15.03.2023 को यूको बैंक खाता संख्या 03920100009843 में नकद जमा राशि को बैंक द्वारा खाता संख्या 03920100009843 में जमा कर दिया था जिसकी सुधारात्मक प्रविष्टि दिनांक 24.05.2023 की गई है। जमा नही किया दर्शाया गया	11520	
5	**उपरोक्त घटाव का कुल योग**	78134	
6	**उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष**		**29551580.41**
	गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार नगर पंचायत के पास दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध कुल निधि		**29551580.41**
	अन्तर		**शून्य**

(5.1.4) **कर्मचारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि से आहरित ₹0.57 लाख की अग्रिम राशि को अनियमित रूप से लेनदारी के रूप में रोकड़ बही में दर्शाना।**

नगर पंचायत के दो कर्मचारियों (श्री रमेश चन्द ₹42000/– तथा श्री नेम चन्द ₹15000/–) द्वारा कुल ₹57000/– की राशि का आहरण उनके सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम के रूप में किया था। यह राशि उनके द्वारा क्रमशः रसीद संख्या 27/90 दिनांक 11.05.2020 तथा 96/105 दिनांक 18.01.2021 द्वारा वापिस कर दी गई जिसकी वसूली का इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ 1 तथा 63 पर आय पक्ष में किया गया है। तत्पश्चात यह राशि उनके सम्बन्धित व्यक्तिगत सामान्य भविष्य निधि के बैंक खातों में दिनांक 11.05.2020 तथा 18.01.2021 को जमा तो करवा दी गई थी परन्तु भुगतान पक्ष में इसका इन्द्राज नहीं करके इसे अब तक लेनदारी के रूप अनियमित तरीके से दर्शाया जा रहा है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–321 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः अब इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(5.1.5) **तकनीकी कारणों से बैंक द्वारा अस्वीकृत ₹0.67 लाख आय के चैकों के लिये रोकड़ बही में समायोजन प्रविष्टि करने के अतिरिक्त इस आय की पुनः वसूली न करना**

भारती इन्फाटैल लिमेर्टिड द्वारा ₹6250/– की राशि टॉवर नवीनीकरण शुल्क की मद में चैक संख्या 295136 दिनांक 30.01.2017 द्वारा जमा करवाई थी जिसके लिये रसीद संख्या 50/0060 दिनांक 27.04.2017 को जारी की गई। इसी प्रकार श्री सुनील कुमार द्वारा ₹60364/– की चैक संख्या 295136 दिनांक 22.03.2021 द्वारा पार्किंग फीस जमा करवाई थी जिसके लिये रसीद संख्या 113/0025 दिनांक 22.03.2021 जारी की गई। परन्तु तकनीकी कारणों से बैंक द्वारा इन चैकों से प्राप्त ₹66614/– की राशि को खाते में जमा जमा नही किया था। नियमानुसार इसके लिये चैक अस्वीकृत होने पर समायोजन प्रविष्टि रोकड बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित था परन्तु इसके स्थान पर इसे पिछले लगभग सात वर्षों से बैंक समाधान विवरणी में दर्शाया जा रहा है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–321 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया

था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः अब इस बारे में अपेक्षित कार्रवाई तथा इस आय की पुनः वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जावे।

(5.2) अनावश्यक रूप से 15 बैंक बचत खातों का संचालन करना

नगर पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 को 15 बचत बैंक बचत खातों का संचालन किया जा रहा था। इनमें से अधिकतर खातों में अंकेक्षणावधि में कोई लेनदेन नहीं किया गया था। अनावश्यक रूप से इन खातों के संचालन का स्पष्टतयः कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा इसके कारण अधिक त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाऐ जाने पर भी अब तक अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–321 दिनांक: 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन बचत खातों को बिना/सीमित वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को नगर पंचायत के अन्य बचत खाते में हस्तान्तरण करवाकर सदुपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(5.3) एकल नोडल बैंक खाते द्वारा संचालित अनुदानों की रोकड़ बहियों का अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि में निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार तीन निधियों अनुदानों के लेनदेन हेतु सरकार के निर्देशानुसार "एकल नोडल बैंक खाते (Single Nodal Bank Account)" खोल कर यथानुसार कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व इन निधियों का लेनदेन भी नगर पंचायत की सामान्य रोकड बही में ही दर्ज किया जाता था। परन्तु इन बैंक खातों को आरम्भ करने के पश्चात इनका लेनदेन किसी भी रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है। यह "हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता, 1975" के नियम 19 (1) तथा नियम 26 (1) की स्पष्ट अवहेलना है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–324 दिनांक: 12/12/2023 द्वारा अभिलेख सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र

संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा सूचित किया कि इस अभिलेख का संरक्षण नहीं किया गया है। जोकि एक अनियमितता है। रोकड बही का अनुरक्षण न होने के कारण इन निधियों की न तो वित्तीय स्थिति बनाई जा सकी और न ही विस्तृत अंकेक्षण सम्भव हो पाई। तदापि अंकेक्षण द्वारा इन निधियों के लेनदेन की, जितनी सम्भव हो सकी उतनी, अंकेक्षण जाँच बैंक खातों में दर्ज आय–व्यय तथा उपलब्ध करवाये गये वाउचरों से करने का प्रयत्न किया गया है। अतः इन निधियों के लिये रोकड बही का अनुरक्षण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार इस अनियमितता के सुधार हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम	निधि का नाम	बैंक खाता संख्या	वर्ष 2022–23 में बैंक खाते में दर्ज आय (₹)	वर्ष 2022–23 में बैंक खाते में दर्ज व्यय (₹)
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA)	इन्डियन बैंक शिमला खाता संख्या 7156675839	50000	50000
2	स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA)	एच डी एफ सी बैंक अर्की खाता संख्या 50100475538	1239218	1239218
3	प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-SNA)	यूको बैंक अर्की खाता संख्या 03920110113097	965000	965000

(5.4) रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता के अध्याय–III के पैरा 19(3) के अनुसार रोकड़ बही अध्यक्ष, नगर पंचायत द्वारा प्रत्येक माह के अन्त में हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया है कि यह सत्यापन दिनांक 14.10.2022 से लेकर 31.03.2023 तक नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों की अवहेलना है। अतः इस बारे में यथोचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त रोकड़ बही को लेखा संहिता के प्रावधानुसार सत्यापित करवाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(5.5.1) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–5** पर उपलब्ध

करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान प्राप्त बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	609885	17100	626985	0	626985

(5.5.2) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–6)

विवरण	राशि (₹)
जोगिन्द्रा के0सह0 बैंक अर्की बचत खाता संख्या 100134001003752	626985
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	626985
अन्तर	शून्य

(5.5.3) नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार पैन्शन तथा ग्रैच्युटी निधि अंशदान का भुगतान प्रावधित दर 12% तथा 5% से अन्तरित न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि माह 03/2022 से नियमानुसार अपेक्षित पैन्शन तथा ग्रैच्युटी निधि अंशदान का भुगतान/अन्तरण प्रावधित दर 12% तथा 5% से नगर पंचायत द्वारा बन्द कर दिया गया है। यह कार्रवाई किसके तथा किन निर्देशों के अन्तर्गत की गई है, इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–328 दिनांकः 15/12/2023 द्वारा कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में त्रुटि सुधार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–6 से 10** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में परिषद को प्राप्त अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

(6.1.1) मुख्य रोकड़ बही में दर्ज अनुदानों की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	16996021	25640478	42636499	26590465	16046034

(6.1.2) अनुदानों की ₹160.46 लाख की राशि उपयोग हेतु शेष

गत उप अनुच्छेद 6.1 में वर्णित तालिका के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों में से ₹1,60,46,034/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी जो परिलक्षित करता है कि पंचायत इन अनुदानों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में विफल रही है तथा इस सन्दर्भ में तुरन्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

(6.1.3) दिनांक 1.4.2022 से पूर्व प्राप्त ₹43.53 लाख के अनुदानों का दो वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता

दिनांक 01.04.2022 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान राशियों में से अव्ययित राशियों का प्रारम्भिक शेष ₹1,69,96,021/– था जिसमें से ***₹43,53,477/–*** की राशि वर्षान्त में दिनांक 31.03.2023 को भी अव्ययित शेष थी। इसमें ***₹40,85,358/–*** की राशि ***"वाहन पार्किंग"*** तथा ***₹2,68,119/–*** की राशि ***"संसदीय क्षेत्र विकास निधि"*** में प्राप्त अनुदान से सम्बन्धित थी। **यह दोनों अनुदान वर्ष 2021–22 में प्राप्त हुये मगर दो वर्ष से अधिक का समय पश्चात पर भी इनका प्रयोग नहीं किया गया था।** इन अव्ययित अनुदानों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "7"** में दिया गया है। इस विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से भी वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–321 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नगर पंचायत अपनी कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए प्राप्त अनुदानों का निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थी जनता को योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(6.2.1) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM-SNA) अनुदानों की वित्तीय स्थिति (बैंक खाते के आधार पर)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	0	50000	50000	50000	0

(6.2.2) स्वच्छ भारत मिशन (SBM-SNA) अनुदानों की वित्तीय स्थिति (बैंक खाते के आधार पर)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	0	1239218	1239218	1239218	0

(6.2.3) प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY-SNA) अनुदानों की वित्तीय स्थिति (बैंक खाते के आधार पर)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	0	965000	965000	965000	0

(6.3) ₹152.19 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "7"** के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के कुल ₹2,65,90,465/– का व्यय प्राप्त अनुदानों से दर्शाया गया है जबकि इस अवधि में केवल ₹1,13,71,278/– की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किए गए थे। इस प्रकार ₹1,52,19,187/– की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित नहीं किए गऐ। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को

अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित करने के साथ–साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

(6.4) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.2022 से 31.3.23 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था, जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में पूर्ण सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित किया जाए।

7. निवेश

(7.1) नगर पंचायत निधि से किये गये निवेश का विवरण

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2022/–305 दिनांक: 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को पंचायत निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित ₹60,00,000/– की राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	सावधि जमा खाता सं0	निवेशित राशि (₹)
1	पंजाब नैशनल बैंक अर्की	6518000आर00009760	6000000
	कुल निवेश		**6000000**

(7.2) कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि (स्वयं स्त्रोत) को सावधि जमा योजना में निवेश करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण सम्भावित ब्याज आय की हानि

गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 में प्रस्तुत विवरणानुसार दिनांक 31.3.2023 को **₹12956694/–**की एक बड़ी राशि नगर पंचायत के बचत खातों में शेष जमा थी जिसे यदि सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध निधि को यदि कुशल वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी, परन्तु पंचायत द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा इतनी बड़ी राशि

को केवल बैंक बचत खातों में जमा रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली संभावित अतिरिक्त आय से भी वंचित होना पड़ा है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/– 321 दिनांक 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ. /2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नगर पंचायत की सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर शेष उपलब्ध राशि को कुशल वित्तीय प्रबन्धन के साथ एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

8. नगर पंचायत के वर्ष 2022–23 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांक: 30/10/2023 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2022–23 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रति के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:–

(8.1) वर्ष 2022–23 के बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय

आय व्यय का शीर्ष	वर्ष 2022–23
आय	
स्व–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	10546000
स्व–स्त्रोतों से वास्तविक आय	22701508
अन्तर	**12155508** **(115% अधिकता)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	44050000
अनुदानों से वास्तविक आय	25640478
अन्तर	**2585814** **(41.79% कमी)**
व्यय	
कुल प्रस्तावित व्यय	53503000

कुल वास्तविक व्यय	39444715
अन्तर	13860812 (26.28% कमी)

(8.2) अनुमोदन

नगर पंचायत का वर्ष 2022–23 के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: UD-H(C)(1)-40/87- IV-21114-15 दिनाँक 22.06.2022 द्वारा किया गया है।

(8.3) बजट प्राक्कलन तीन माह के विलम्ब से अनुमोदित करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) में प्रावधित है कि नगर पंचायत का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर पंचायत सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो सचिव सदन की सहमती के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रेषित करेगा। वर्ष 2022–23 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश सोलन के माध्यम से यह पत्र संख्या: Acctts. (LFA)1-1/03- Part-IX-77 दिनाँक 26. 05.2022 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप–अनुच्छेद 8.2 में वर्णित पत्र द्वारा दिनाँक 22.06.2022 को अनुमोदत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितनी उदासीनता, निरूत्साह तथा विलम्ब दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के लगभग तीन महीने पश्चात बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(8.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता

गत उप–अनुच्छेद (8.1) में दिये वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर पंचायत अपने प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से दूर है। यदि स्व–स्त्रोतों तथा अनुदानों से आय के बजट अनुमानों व वास्तविक आय की तुलना की जाए तो क्रमश: ₹12155508 (115%) की अधिकता व **2585814 (41.79%)** की कमी पाई गई है। वर्ष 2022–23 के बजट को अनुमोदित करते हुये निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी

विकास विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यालय पत्र की शर्त संख्या 6 में आय के संसाधनों को बढ़ाने तथा सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिये गये है, परन्तु वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत द्वारा या तो इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्न नहीं किये जा रहे अथवा प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये थे। इसी प्रकार यदि व्यय की तुलना की जाये तो इसमें भी या तो अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे अथवा अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में नगर पंचायत विफल रही है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर पंचायत अर्की द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को मात्र एक औपचारिकता की तरह लिया गया है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण

नगर पंचायत की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2019-20	18272037.50	14086556.58
2020-21	25266296.00	23995746.75
2021-22	31153958.00	23802795.23

10. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अवधि 04/2022 से 03/2023 तक में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

(10.1) गृहकर

(10.1.1) गृहकर का बकाया ₹40.89 लाख वसूली हेतु शेष

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग-शिमला/2023/-305 दिनांक 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "11.1"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को नगर पंचायत क्षेत्र के नगरवासियों से गृहकर बकाया के रूप में ₹40,89,239/- की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसमें से **परिशिष्ट"11.2" व "11.3"** पर विवरणित केवल ₹1401932/- (829726 + 572203) के मामलों में ही कानूनी कार्रवाई आरम्भ की गई है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि

इस बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार के ठोस प्रयास नहीं किये गये हैं जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के प्रावधानों के आधार पर इस बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। **वसूली हेतु बकाया गृहकर का विवरण निम्न तालिका में संकलित है:–**

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के लिये माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष में वसूली (₹)	अन्तशेष (₹)	टिप्पणी
2022–23	4050381	1972924	6023305	1934066	4089239	—

(10.1.2) तीन से पाँच वर्षों तक लम्बित ₹12.31 लाख के गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कोई ठोस कार्रवाई न करना

नगर पंचायत द्वारा नगरवासियों पर सर्वप्रथम गृहकर अधिरोपण वर्ष 2018–19 में किया था। गत उप–अनुच्छेद में वर्णित दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर ₹40,89,239/– के अंकेक्षण में पाया गया कि इस बकाया में, निम्न तालिका अनुसार, **₹12,30,627/–** की बकाया राशि ऐसी है जोकि 21 नगरवासियों द्वारा तीन से लेकर पाँच वर्षों तक चुकता नहीं की गई थी। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों द्वारा करों व शुल्कों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन दोषियों से गृहकर बकाया की शत प्रतिशत वसूली हेतु नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र.	वार्ड संख्या	मांग व संग्रहण रजि.पृष्ठ संख्या	गृहकरदाता का नाम	वार्षिक गृहकर	दिनांक 31.03.23 को ब्याज सहित बकाया गृहकर राशि (₹)	अवधि जिसके लिये गृहकर का भुगतान नहीं किया गया (वर्ष)
1	1	1/8	श्री धर्मेन्द सिंह	5220	27979	5
2	1	1/10	श्री हरी राम	10923	36642	3
3	1	1/11	श्रीमति सलोचना	2997	16064	5
4	1	1/114	श्री खेम चन्द	2684	14386	5
5	2	2/47	बी.आर.सी.कार्यालय	7128	38207	5
6	2	2/50	श्री सुमेध शर्मा	11129	59651	5
7	2	2/65	श्री नन्द लाल वर्मा	2146	11053	5
8	2	2/88	अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति विभाग	4056	12656	3
9	2	2/106	श्री ललीत कुमार	14965	80212	5
10	2	2/109	उपमण्डलाधिकारी आवास अर्की	3005	16107	5
11	3	3/101	अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति विभाग	9249	28857	3
12	3	3/113	तहसीलदार अर्की	4351	24365	5
13	3	9/98	अधिशाषी अभियन्ता विद्युत विभाग	17242	74830	4
14	3	3/12	एस.डी.पी.ओ. विभाग	26579	142463	5
15	4	4/2	तहसील कार्यालय, तहसीलदार आवास अर्की	33970	182079	5

16	4	4/4	उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की	42354	227017	5
17	6	4/25	श्री अनिल खान	2507	13438	5
18	6	6/58	श्री महेन्द्र प्रकाश	4869	26098	5
19	6	6/64	श्री रामचन्द	37500	167250	4
20	7	7/86	एस.डी.एम राजस्व कलोनी	2724	14601	5
21	7	7/160	श्री नरोतम राम	5090	16672	3
	कुल योग				1230627	

(10.1.3) नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम 1994 तथा निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत क्षेत्र में स्थापित होटलों व गैस्ट हाउसों से व्यावसायिक गतिविधियों के लिये 12.5% की दर से गृहकर वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा सचिव से इस सन्दर्भ में ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा **परिशिष्ट "12"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि में केवल एक होटल तथा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से इस मद में 12% की दर से गृहकर अधिरोपित किया गया है। नगर पंचायत के सीमाक्षेत्र में अन्य होटलों व गैस्ट हाउस का विवरण अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। संसाधनों की कमी से जूझती पंचायत द्वारा आय के इस महत्वपूर्ण संसाधन का दोहन न किया जाना एक बहुत ही गम्भीर विषय है तथा वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को दर्शाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस विवरण को तैयार करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत समस्त होटलों व गैस्ट हाउसों से उनकी स्थापना के समय से प्राप्य गृहकर का निर्धारण करके पूर्ण राशि की यथाशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(10.2) दुकानों का किराया

(10.2.1) दुकानों के बकाया किराये की ₹1.88 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "13"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को दुकानों के बकाया किराये की ₹1,88,437/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार के ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। **वसूली हेतु बकाया दुकान किराये का विवरण निम्न तालिका में संकलित है:–**

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के लिये माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष में वसूली (₹)	अन्तशेष (₹)	टिप्पणी
2022–23	55600	722668	778268	589831	188437	—

(10.2.2) एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक लम्बित ₹1.07 लाख के दुकानों के किराये की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

गत उप–अनुच्छेद में वर्णित दिनांक 31.03.2023 को बकाया दुकान किराये की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया है कि निम्न तालिका में वर्णित दुकानदारो द्वारा एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक लम्बित बकाया किराये की **₹1,07,164**/– की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इन दुकानों को वर्तमान बाजार भाव की दरों की तुलना में नाममात्र मासिक किराये पर आबंटित किया गया है यह बहुत खेदजनक है कि इतना कम किराया होने के उपरान्त भी इन किरायेदारो द्वारा इतने वर्षो से किराये का भुगतान नहीं किया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरायेदार बकाया किराये का भुगतान करने के इच्छुक ही नहीं हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ.

/2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है क्योंकि जब नगर पंचायत द्वारा इन गम्भीर दोषियों के विरूद्ध कोई वैधानिक कदम नही उठाती है तो इससे अन्य किरायेदारों को भी किराया भुगतान न करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।। अतः इन किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्र.	दुकान संख्या	नाम	किराया प्रतिमाह(₹)	31.3.22 को बकाया दुकान किराया (₹)	अवधि जिसके लिये किराये का भुगतान नहीं किया गया (माह)
1	12	श्री बली राम	436	24132	55
2	16	श्री मेद राम	593	10979	19
3	17	श्री मदन लाल	1022	59529	58
4	47	श्री मोहन सिंह	1022	12524	12
			कुल राशि(₹)	107164	

(10.2.3) दुकान किराये के साथ वसूल किये गये वस्तु व सेवा कर की ₹0.81 लाख की राशि को सम्बन्धित विभाग के पास जमा न करवाना

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "14"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दुकानों के किराये से सम्बधित रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि अवधि 04/2022 से 03/2023 तक नगर पंचायत द्वारा दुकान किराये के साथ वसूल वस्तु व सेवा कर की ₹81,216/–की राशि को सम्बन्धित विभाग को भुगतान न करके नगर पंचायत निधि में ही जमा रखा गया है। सरकारी राजस्व को समय पर सम्बन्धित विभाग के पास नियमानुसार जमा न

करवाना बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इस सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग अथवा वस्तु एवं सेवाकर विभाग द्वारा कभी भी दण्ड (Penality) लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में इसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। समय पर सरकार के राजस्व का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये इस राशि को प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित राजस्व शीर्षक में जमा करवाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(10.2.4) दुकानों के किराये के मांग व संग्रह रजिस्टर में देय गृहकर बकाया राशि को एक वित्त वर्ष से दूसरे में उठाते (Carry Over) समय ₹663 से कम दर्शाना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के दुकानों के किराये के मांग व संग्रह रजिस्टर की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित प्रकरणों में अन्तशेष को एक वर्ष से दूसरे के लिये उठाते (Carry Over) समय बकाया राशि को कम दर्शाया गया है, इसके परिणामस्वरूप नगर पंचायत को 2022–23 में ₹663/– की हानि हुई है।

क्र.	नाम	दुकान संख्या	किराया प्रतिमाह	31.03.2022 को बकाया किराया (₹)	01.04.22 को दर्षाया गया बकाया किराये का आरम्भिक शेष (₹)	कम दर्षाया गया बकाया किराया (₹)
1	श्री राजेश वर्मा	10	204	4573	4258	315
2	श्री भूपेन्द्र सिंह	44	629	1756	1716	40
3	श्री अमर चन्द	58	73	572	264	308
	कुल योग					663

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा सूचित किया कि माँग व सन्ग्रह रजिस्टर में आवश्यक सुधार कर लिया गया जिसका सत्यापन अंकेक्षण में कर लिया गया है।

(10.2.5) दुकानदार से संशोधित दर से किराये की वसूली न किये जाने के कारण ₹6555/–की हानि

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा करुणा देवी सपुत्री हरी दत को दुकान संख्या 51 के सन्दर्भ में किये गये नये अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2023 तक की अवधि के लिए दुकान का किराया ₹1150/– प्रति माह से बढ़ाकर ₹1265/– प्रति माह कर दिया गया परन्तु मांग व संग्रह रजिस्टर पृष्ठ संख्या 14 पर दर्ज विवरणानुसार दुकानदार से ₹1150/–प्रति माह की दर से वसूल किया जा रहा है। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा दिनांक 01.07.2018 से 31.03.2023 तक दुकान के किराये में नियमानुसार संशोधित दर से बढ़ौतरी न करने से पंचायत को ₹6555/– (₹115 × 57 माह) की हानि हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांक: 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक अनुपालना करके तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(10.2.6) दुकानों के किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण व नियमानुसार 5 वर्षों के पश्चात किराया बढ़ौत्तरी न करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.12 लाख की वित्तीय हानि:–

नगर पंचायत के अंकेक्षण के दौरान दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख/अनुबन्धों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–"15"** पर दिये विवरणानुसार नगर पंचायत द्वारा दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौत्तरी न करने से नगर पंचायत को ₹12031/– की वित्तीय हानि हुई, जबकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एल0एस0जी0–एफ0–6–1/85 दिनाँक 21.12.2001 द्वारा अधिसूचित अधिनियिम के नियम 5 (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के पश्चात किराये में 10% की बढ़ौत्तरी तथा दुकानदारों से नियमानुसार अनुबन्ध/इकरारनामों का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहायक नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/322 दिनांक 11.12.2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न0पं0अ0/2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का

आश्वासन दिया है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक अनुपालना करके तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(10.3) मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹0.50 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "16"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टॉवर स्थापित किये गये है जिस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्याः (डी0आई0टी0)–डी0ई0पी0 (आई0टी0) 2005 (एम0आई0एस0सी0)–96 दिनांक 21.6.2017 द्वारा निर्धारित दरों से स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जाती है। उक्त परिशिष्ट के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को इस मद में ₹50,000/– की राशि विभिन्न कम्पनियों से वसूली हेतु शेष थी। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(10.4) सफाई शुल्क की ₹5.25 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांकः 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "17"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को इस मद में ₹ 5,24,952/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(10.5) सफाई शुल्क की ₹0.09 लाख की राशि को जमा न करवाकर दुर्विनियोजन करना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के सफाई शुल्क की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार नगर पंचायत द्वारा सफाई शुल्क की ₹9035/– की राशि वसूल तो की गई परन्तु इसका रोकड बही में इन्द्राज नहीं किया गया और न ही यह बैंक खाते में जमा न करवाकर इसका दुर्विनियोजन किया गया था।

क्र.	दिनांक	रसीद संख्या	नाम	अवधि	वसूल राशि (₹)
1	19.05.2022	18503	श्री उपेन्द्र यादव	04/22 से 03/23	590
2	19.05.2022	18509	श्रीमति कमलेश गुप्ता	04/22 से 05/22	140
3	01.09.2022	9820	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	06/22 से 08/22	150
4	21.11.2022	9821	श्री महेश	04/21 से 10/22	950
5	21.11.2022	9822	श्री महेश	11/22 से 03/23	225
6	25.11.2022	9823	श्री देवेन्द्र शर्मा	09/22 से 12/22	200
7	26.11.2022	9824	श्री जगत राम	08/22 से 11/22	1000
8	---	9825	श्रीमति आशा	12/22	350
9	03.01.2023	9826	श्री जगत राम	12/22 से 03/23	1000
10	06.01.2023	9827	श्री ललित कुमार	10/22 से 12/22	150
11	16.01.2023	9828	श्रीमति सन्तोष भारती	12/22	500
12	07.02.2023	9829	श्रीमति कौशल्या ठाकुर	01/23 से 03/23	800
13	07.02.2023	9830	श्री निर्मल सिंह	10/22 से 03/23	300
14	08.02.2023	9831	श्रीमति कमला ठाकुर	04/21 से 03/23	1200
15	09.02.2023	9832	श्रीमति उर्मिला गुप्ता	10/22 से 03/23	300
16	15.02.2023	9833	श्री दिवेश गुप्ता	01/23 से 03/23	150
17	01.03.2023	9835	श्री ओम प्रकाश	04/23 से 04/23	590
18	01.03.2023	9836	श्री भूपेन्द गुप्ता	09/22 से 12/22	200
19	10.03.2023	9837	श्री विकास	01/23 से 02/23	100
20	29.03.2023	9838	श्री विरेन्द्र	01/23 से 02/23	140
				कुल योग	**9035**

इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा सूचित किया कि इस राशि की सम्बन्धित से वसूली करके पंचायत निधि में राशि जमा करवा दी गई है,

जिसका सत्यापन अंकेक्षण में कर लिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

(10.6) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1300 की कम वसूली करना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के विवाह पंजीकरण शुल्क से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹1,300/– की राशि की कम वसूली की गई है। हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एंवम अधिकारिता विभाग के पत्र संख्याः एस.जे.ई.–ए.ए.(3) 1/2015, दिनांक 04.10.2016 द्वारा प्रावधित किया गया है कि विवाह पंजीकरण के लिये विवाह पश्चात 30 दिन तक सामान्य परिवार से ₹200/– तथा आई.आर.डी.पी./बी.पी.एल. परिवार से ₹25/– शुल्क वसूल किया जायेगा तथा 30 से 90 दिन की अवधि के बीच क्रमशः ₹400/– और ₹50/– शुल्क देय होगा। परन्तु अंकेक्षण जांच में पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा पंजीकरण शुल्क की प्रावधित दरों से कम दर पर वसूली की गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–322 दिनांकः 11/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक अनुपालना करके तदानुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्र.	विवाह की तिथि	वर /वधु का नाम	विवाह पंजीकरण रजि.संख्या	जाति	विवाह पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि (₹)	वसूल राशि (₹)	कम वसूल राशि (₹)
1	20.05.22	दीपक/पूजा	22	Gen	04.06.22	200	100	100
2	27.02.22	आमिर सोहेल/शबनम	23	Gen	17.06.22	400	100	300
3	16.05.22	लेखराज/अनुराधा	24	Gen	27.06.22	400	100	300
4	03.05.22	हिमांशु/प्रीति	25	Gen	18.07.22	400	100	300
5	21.04.22	तरुण/रितिका	26	Gen	24.08.22	400	100	300
							कुल योग	1300

11. स्थापना (Establishment)

(11.1) श्री रामकर्ण, कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से जारी किये गये वेतन निर्धारण पश्चात वेतन बकाया का ₹0.42 लाख का अनियमित व अधिक भुगतान

अंकेक्षण में पाया गया कि श्री रामकर्ण, कनिष्ठ सहायक को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा मुकदमा संख्या 4474/2020 में दिये गये निर्णय की अनुपालना में निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यालय अदेश संख्या UD-H(E)-3/2021-9574 दिनांक 12.06.2023 द्वारा जारी के आदेशों के आधार पर उन्हें पूर्वप्रभावी दिनांक 21.12.2002 से नियमतीकरण का लाभ देते हुये जो वेतन निर्धारण किया गया है उसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैः–

1. दिनांक 21.12.2007 को श्री रामकर्ण को लिपिक से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न का लाभ दिया गया है। नगर पंचायत में लिपिक के तीन पद स्वीकृत है तथा सरकार द्वारा प्रावधित नियमों के अनुसार किसी भी समय लिपिक के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से 50 प्रतिशत को कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानापन्न का लाभ दिया जा सकता है। तीन पदों का 50 प्रतिशत 1.5 होने की स्थिति में नियमों में अपूर्ण अंक को पूर्णांक करने का प्रावधान नहीं है तथा इस कारण नगर पंचायत में एक समय में एक ही लिपिक का स्थानापन्न कनिष्ठ सहायक के पद पर किया जा सकता है। चूंकि दिनांक 21.12.2007 से 31.08.2010 तक इस पद श्री जगदीश तनवर कार्यरत थे अतः श्री रामकर्ण का यह स्थानापन्न अनियमित प्रतीत होता है।
2. श्री रामकर्ण की वार्षिक वेतन वृद्धि की सामान्य दिनांक एक दिसम्बर थी। परन्तु दिनांक 01.10.2012 से प्रभावी वेतन परिशोधन के समय उनका वेतन पे बैन्ड ₹10300–34800 + 3600 ग्रेड पे में न्यूनतम ₹13900/– पर निर्धारित होने के कारण प्रावधित नियमों के अनुसार इस परिशेधन के पश्चात यह दिनांक एक अक्तूबर हो जाती है। परन्तु उन्हे 01.10.2012 के पश्चात 01.12.2012 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अनियमित रूप से जारी कर दिया गया तथा उनकी आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि की सामान्य दिनांक भी एक दिसम्बर ही जारी रखी गई है।
3. दिनांक 01.01.2016 को श्री रामकर्ण पे–बैन्ड ₹5910–20200 + ₹2800 ग्रेडपे के साथ कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे। **"वेतन संशोधन नियम 2022"** के प्रावधानों के अनुसार उनका

वेतन इस दिन से पे–मैट्रिक्स के लेवल 7 में किया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर पंचायत द्वारा यह लेवल 10 में ₹3600 ग्रेडपे के विरूद्ध किया गया था।

4. उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के फलस्वरूप **परिशिष्ट "18"** पर सम्भावित वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में दिये विवरणानुसार जहाँ श्री रामकर्ण का वेतन दिनांक 01.10.2022 की वार्षिक वेतनवृद्धि पश्चात लेवल 7 में सैल 17 के अनुसार ₹46400/– होना चाहिये था वहाँ नगर पंचायत उन्हें दिनांक 01.12.2022 से लेवल 10 में सैल 9 के अनुसार ₹48200/– का भुगतान कर रही थी।
5. श्री रामकर्ण को इस अनियमित वेतन निर्धारण के आधार पर माह 09/2023 में ₹42076/– की राशि का भुगतान **परिशिष्ट "19"** पर दिये विवरणानुसार वेतन बकाया के रूप में किया गया जोकि उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के कारण अनुचित है।
6. गत अनुच्छेद में मात्र वही ₹42076/– का वेतन बकाया वर्णित है जोकि माह 09/2023 में आहरित किया गया है। परन्तु यहाँ यह महत्त्वपूर्ण तथ्य स्मरण योग्य है कि जब श्री रामकर्ण के वेतन का पुनरनिर्धारण अंकेक्षण के सुझावानुसार किया जाये जो आहरण योग्य एवं आहरित वेतन (Due and Drawn Salary) यथानुसार लेकर ही गणना सुनिश्चित की जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार गलत व अधिक भुगतान से बचा जा सके।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–326 दिनांक: 14/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई तथा अनियमित वेतन बकाया भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(11.2) पैन्शन भुगतान बिलों में पाई गई अनियमितताएँ

पैन्शन भुगतान बिलों की अंकेक्षण जांच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं

1. **पारिवारिक पैन्शन का अधिक भुगतान किया जाना:–** श्रीमति पूनम, सेवानिवृत सफाई कर्मचारी को नगर पंचायत दो पैन्शन का भुगतान करती है। एक तो उनकी अपनी सेवानिवृति पैन्शन तथा दूसरी उनके स्वर्गीय पती जीतराम, सेवानिवृत सफाई कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक पैन्शन का भुगतान क्रमशः ₹7190/– तथा ₹3500/– प्रतिमास की मूल पैन्शन की

दर से किया जा रहा है। परन्तु उन्हे ₹3500/– प्रतिमास की दर भुगतान की जा रही पारिवारिक पैन्शन का निर्धारण हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापन संख्या: No. Fin(Pen)A(3)-1/09-Part-II dated 14.10.2009 (pertaining to pre-2006 pensioners) के नियम 5 के प्रतिकूल किये जाने के कारण यह अनियमित है। इस बारे में अवधि 04/2019 से 03/2022 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अनुच्छेद 20.1 पर विस्तृत आपत्ति दर्ज किये जाने पर भी अभी तक नगर पंचायत द्वारा कोई अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई है।

2. **पारिवारिक पैन्शन के साथ महँगाई राहत का भुगतान न करना:–** श्रीमति निर्मला देवी को उनके स्वर्गीय पती जगदीश तनवर, सेवानिवृत वरिष्ठ लिपिक की मृत्यु पश्चात ₹4773/– प्रतिमास तथा गत उप–अनुच्छेद में वर्णित श्रीमति पूनम देवी को ₹3500/– प्रतिमास की दर से पारिवारिक पैन्शन का भुगतान किया जा रहा है। परन्तु इसके साथ नियमानुसार देय महँगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया था। इस बारे में अवधि 04/2019 से 03/2022 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी अनुच्छेद 20.2 पर विस्तृत आपत्ति दर्ज किये जाने पर भी अभी तक नगर पंचायत द्वारा कोई अनुपालना कार्रवाई नही की गई है।

3. **पैन्शन भत्ते का लाभ जारी नहीं किया नहीं किया जाना:–** सभी पैन्शन व पारिवारिक पैन्शन भोगियों को प्रावधित नियमों के अनुरूप 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से देय पैन्शन भत्ते का लाभ जारी नहीं किया गया है। ***परन्तु इसमें यह स्मरणीय है कि इनमें से श्रीमति पूनम देवी को यह लाभ पैन्शन अथवा पारिवारिक पैन्शन दोनों में से एक पर ही देय होगा।***

क्रम	पैन्शन/पारिवारिक पैन्शन धारक का नाम	सेवानिवृति के समय कर्मचारी का पद	मासिक दर (₹)	पैन्शन/पारिवारिक पैन्शन धारक की जन्मतिथि	कर्मचारी की सेवानिवृति की तिथि
1	श्रीमति निर्मला देवी पत्नी स्व॰ जगदीश तनवर, पारिवारिक पैन्शन धारक	वरिष्ठ लिपिक	₹4773	17.08.1958	31.08.2010
2	श्री काशी राम, पैन्शन धारक	बेलदार	₹4555	17.03.1952	31.03.2012
3	श्रीमति पूनम देवी, पैन्शन	सफाई	₹7190	25.04.2055	30.04.2015

	धारक	कर्मचारी			
4	श्रीमति पूनम देवी पत्नी स्व॰ जीत राम, पारिवारिक पैन्शन धारक	सफाई कर्मचारी	₹1310	25.04.2055	31.03.2004
5	श्रीमति रजना देवी, पैन्शन धारक	सफाई कर्मचारी	₹6450	10.04.2058	30.04.2018

इस सन्दर्भ मे अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–325 दिनांक: 13/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया गया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई तथा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. **अग्रिमः**

सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांक: 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–20** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को समायोजन हेतु शेष अग्रिमों की राशि शून्य थी।

13. नगर पंचायत कर्मचारियों के सन्दर्भ में पैन्शन व ग्रैच्युटी, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना

सचिव नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांक: 30/10/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–21** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारियों से सम्बन्धित पैन्शन व ग्रैच्युटि के भाग को सचिव के नाम से खोले गये बैंक खाते मे जबकि कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि अभिदान (नियोक्ता अंश सहित) की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते, जो कि सचिव के नाम गिरवी है, में जमा करवाया जाता है। दिनांक 31.03.2023 को इन बचत खातों के कुल शेष का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1	पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि का दिनांक 31.03.2023 को कुल शेष **परिशिष्ट–5**	6,26,985
2	कर्मचारी के सचिव के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31.03.2023 को कुल शेष **परिशिष्ट–21**	2366904
3	कर्मचारी के सचिव के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा अंशदायी पैन्शन निधि (नियोक्ता अंश सहित) का दिनांक 31.03.2023 को कुल शेष **परिशिष्ट–22**	3243428

इन खातों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं–

1. हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारुप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस सन्दर्भ में लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नही की जा रही है।
2. उपरोक्त नियमों में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारुप पी॰ एफ॰ 7 – 1 से पी॰ एफ॰ 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।
3. उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।
4. इसी प्रकार अंशदायी पैन्शन निधि मासिक अभिदान, जिसमें कर्मचारी तथा नगर पंचायत दोनों का अभिदान, सम्मिलित है को ''पैन्शन फण्ड नियामक एवं विकास प्रधिकरण'' द्वारा संचालित एन. पी. एस. खाता (NPS Account with "Pension Fund Regulatory and Development Authority) खोल कर उसमें प्रत्येक माह जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम से NPS Account खुलवाये ही नहीं गये हैं और दोनों प्रकार के अभिदान की राशि उपरोक्त बचत खातों में ही जमा करवाई जा रही है। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है परन्तु साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृति पश्चात के भविष्य के साथ भी खिलवाड है क्योंकि इस परिस्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की पैन्शन उपलब्ध नहीं होगी।

अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य हेतु तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14. व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(14.1) नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत निधि से "मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका योजना" की मद में किये गये ₹6.30 लाख के व्यय की प्रतिपूर्ती का शेष पाया जाना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जॉच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 तक ₹6,29,950/– का व्यय नगर पंचायत निधि से **"मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका योजना"** की मद में किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "23"** में दिया गया है। इस व्यय का पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक निदेशालय से समायोजन व प्रतिपूर्ती नहीं की गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–318 दिनांक 06/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस राशि का समायोजन/प्रतिपूर्ती न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(14.2) नगर पंचयात द्वारा "एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Palstic) के वापिस खरीद पॉलिसी (Buy Back Policy)" की मद में ₹10.72 लाख के व्यय की प्रतिपूर्ती का शेष पाया जाना वेस्ट पिकर्ज व मकान मालिकों से तहत दिनांक 31.03.2023 तक जारी

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जॉच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2023 तक ₹10,72,350/– का व्यय **"एकल प्रयोग प्लास्टिक की वापिस खरीद पॉलिसी (Single Use Palstic Buy Back Policy)"** के अर्न्तगत वेस्ट पिकर्ज व मकान मालिकों से की गई खरीद पर किया गया। इस व्यय का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "24"** में दिया गया है। पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्याः STE-F(4)-1/2017 दिनांक 01.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा

कार्यालय पत्र संख्या: UD-H(F)-(1)-1/2016 (PWM Rules)-1-35601-655 दिनांक 29.10.2019 द्वारा सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों को पृष्ठोंकित उपरोक्त वर्णित पॉलिसी के प्रावधानों के अनुसार इस व्यय की प्रतिपूर्ती शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाना अपेक्षित था। परन्तु नगर पंचायत अर्की द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक इस ₹10,72,350/– की राशि की प्रतिपूर्ती नहीं की गई थी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–318 दिनांक: 06/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस राशि का समायोजन/प्रतिपूर्ती न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(14.3) नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली बिलों में माँग किये गये एनर्जी शुल्क, लाईन मुरम्मत शुल्क व देरी से भुगतान शुल्क (Energy Charges, Line Maintenance Charges, Late Payment Charges) के लिये ₹5.00 लाख का भुगतान करना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिजली बिलों में माँग किये गये एनर्जी शुल्क, लाईन मुरम्मत शुल्क व देरी से भुगतान शुल्क (Energy Charges, Line Maintenance Charges, Late Payment Charges) के लिये कुल ₹10,74,363.21 की मांग की जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–25** पर दिया गया है।

क्र॰	दिनाँक	रो॰ ब॰ पृ॰	मीटर खाता संख्या	माँग की गई बकाया राशि (₹)
1	15.12.2022	118	100003000025	350634.00
2	15.12.2022	118	100003000000	492258.60
3	15.12.2022	118	100003000019	149925.85
4	15.12.2022	118	100003000009	81544.76
			कुल राशि	**1074363.21**

रोकड़ बही पृष्ठ 118 पर दिनांक 15.12.2022 को दर्ज प्रविष्टि अनुसार नगर पंचायत द्वारा माँगी गई राशि में से ₹5,00,000/– का भुगतान कर दिया गया है। इस भुगतान को करने से पूर्व विद्युत परिषद् से इस शुल्क का औचित्य पूर्णतः स्पष्ट किया जाना उचित नहीं समझा गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–318 दिनांकः 06/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः राज्य विद्युत परिषद् से इस भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करवाई जाये अन्यथा इसका समायोजन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.4) बिजली बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग किये गये शेष शुल्क (Outstanding Charges) राशि के लिये ₹1367/–का भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर पंचायत द्वारा भुगतान किये गये बिजली के बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रत्येक बिल में ***"शेष शुल्क (Outstanding Charges)"*** की माँग की गई है। नमूना अंकेक्षण में इस प्रकार भुगतान की गई ₹1,367/– की राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनाँक	रो• ब• पृ•	मीटर खाता संख्या	कुल भुगतान (₹)	माँग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	22.04.2022	52	100002000083	580	26.98
2	18.06.2022	80	200003001765	1368	220.06
3	18.06.2022	80	100002000101	145	2.11
4	18.06.2022	80	100002000093	1319	10.97
5	18.06.2022	80	200002006959	5098	1.89
6	25.07.2022	88	100002000093	1001	18.26
7	25.07.2022	88	100002000101	105	2.30
8	25.07.2022	88	200002006959	410	70.47
9	25.07.2022	88	100002000083	155	5.63

10	17.08.2022	94	200003001765	571	17.58
11	17.08.2022	94	100002000093	1000	13.87
12	17.08.2022	94	200002006959	425	5.26
13	17.08.2022	94	100002000101	144	1.45
14	17.08.2022	94	100002000083	521	2.14
15	14.10.2022	106	200003001765	1054	14.26
16	14.10.2022	106	100002000101	155	1.96
17	14.10.2022	106	100002000093	847	12.81
18	14.10.2022	106	200002006959	2510	5.98
19	14.10.2022	106	100002000083	426	6.89
20	24.11.2022	112	100002000083	692	6.30
21	17.03.2023	136	100002000083	1390	844.95
22	17.03.2023	136	200002006959	134	5.46
23	17.03.2023	136	100002000093	1010	50.10
24	17.03.2023	136	100002000101	132	2.88
25	17.03.2023	136	100002000083	572	16.75
			कुल राशि		1367.31

परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस भुगतान को करने से पूर्व राज्य विद्युत परिषद् से इस शुल्क का औचित्य स्पष्ट किया जाना उचित नही समझा और माँगी गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–318 दिनांकः 06/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अँकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और राज्य विद्युत परिषद् से इस ₹1367/– के भुगतान बारे वस्तुस्थिति तथ्यों स्पष्ट करवाई जाये अन्यथा इसका समायोजन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15. निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ:

(15.1) **C/o Ambulance Road from H/o Dr. Shriram upto Revenue Colony (S.A.K.B. Road) Ward No. 7 (SH: P/L C.C. Pavement)**

Online eTender ID:	**2022_UDDHP_62512_1**
Date of eTender:	**27-07-2022**
Awarded/tendered amount:	**₹197205/-**
Executed amount:	**₹200243/-**
MB No.:	**2/2022**
MB Page:	**79-82**
Award Letter No.	**NPA/Works/2016-716 Dated 18-08-2022**
Time Allowed:	**Two Months.**
Date of Commenecement:	**18-08-2022**
Date of Completeion:	**17-10-2022**

इस निर्माण कार्य के बिल तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जॉच मे निम्नलिखत अनियमितताऐं पाई गई है।

1. कार्य आरम्भ करने से पूर्व आबन्टन पत्र की शर्तानुसार संविदाकार के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित नही किया गया था और यह कार्यप्रणाली न केवल इस कार्य में बल्कि सभी निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपनाई गई है। कारण पूछने पर एक हास्यस्पद तर्क मौखिक रूप से दिया गया कि नगर पंचायत द्वारा अनुबन्ध इसलिये हस्ताक्षरित नहीं जाता है क्योंकि इसका प्रारूप बहुत बड़ा तथा कई पन्नों का है। परन्तु किसी निर्माण कार्यों के निष्पादन से पूर्व संविदाकारों के साथ किसी भी प्रकार का अनुबन्ध हस्ताक्षरित नही किया जाना "CPWD Works Manual, 2022" के अध्याय 5 में दिये विस्तृत प्रावधानों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की अवहेलना है क्योंकि अनुबन्ध के अभाव में निर्माण कार्य निष्पादन मे त्रुटि की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा संविदाकार के विरूद्व दायित्व निर्धारण अथवा कानूनी कार्रवाई सम्भव नहीं हो पायेगी।

2. यह कार्य ₹197205/– की राशि के लिये आबन्टित किया गया जोकि ₹200243/– के कुल व्यय के साथ निष्पादित किया गया था। परन्तु इसकी विचलन विवरणी (Deviation Statement) तैयार नही की गई है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–329 दिनांकः 18/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1404 दिनांक 18.12.2023 द्वारा प्रस्तुत उत्तर सन्तोषजनक नही पाया गया है। अतः इस गम्भीर अनियमितता बारे वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करने के साथ–साथ कार्यप्रणाली मे तुरन्त नियमानुसार आवश्यक सुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(15.2) निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹0.60 लाख की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना

नगर पंचायत के अंकेक्षणावधि में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट "26"** में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2022 से 03/2023 के बीच संविदाकारों से निर्माण कार्यों मे उपयोग की गई खनिज सामग्री की मात्रा पर Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of illegal mining Transport and Storage) Rules 2015 नियम के नियम 4 (1),18(1) व 19 (1) (9) के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई रॉयल्टी की ₹60428/– की राशि की वसूली करके राशि खनन विभाग के पास जमा करवाने के स्थान पर अनियमित रूप से नगर पंचायत निधि में ही जमा रखी गई है। रॉयल्टी की वसूली करके राशि सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में खनन विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी मॉंग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व परिषद् का नहीं होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–318 दिनांकः 06/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(15.3) संविदाकारों से निर्माण कार्य बिलों से काटी गई श्रम उपकर (Labour Cess) की ₹0.47 लाख की राशि को श्रम अधिकारी सोलन के पास जमा न करवाना

नगर पंचायत द्वारा निष्पादित अंकेक्षणावधि के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच के में पाया गया कि **परिशिष्ट "27"** में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2022 से 03/2023 के बीच तीन वर्षों में निर्माण कार्य बिलों से श्रम उपकर की ₹46756/- की कटौती करके श्रम अधिकारी सोलन के पास जमा करवाने के स्थान पर अनियमित रूप से पंचायत निधि में ही जमा रखी गई है। इस राशि को सरकारी कोष/सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में सम्बन्धित विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व नगर पंचायत का नहीं होगा अपितु आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग - शिमला/2023/-318 दिनांकः 06/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्याः न.प.अ./2023-1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(15.4) निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया अनियमित भुगतान

सी. पी. डब्ल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आए कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर पंचायत अर्की द्वारा अंकेक्षणावधि में निष्पादित निर्माण कार्य बिलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट "28"** पर संकलित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादन अवार्ड मात्रा/राशि से कम अथवा अधिक मात्रा/राशि के लिये हुआ है तदापि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान विचलन की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/नियमतिकरण के बिना ही किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग-शिमला/2023/-318 दिनांकः 06/12/2023 द्वारा सूचित

करने पर प्रत्युत्तर में सचिव के कार्यालय पत्र संख्या: न.प.अ./2023–1403 दिनांक 18.12.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–305 दिनांक: 30/10/2023 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जॉच में स्टोर/स्टॉक के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर पंचायत द्वारा स्टॉक रजिस्टर मे दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है।
2. नगर पंचायत द्वारा करवाये गये स्टोर/स्टॉक के अन्तिम भौतिक सत्यापन का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। और न ही वर्तमान अंकेक्षणावधि में इन नियमों की अनुपालना की गई है।
3. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर पंचायत द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ मे प्रावधित नियमों, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों मे किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इसमें से अधिकतर नियमो की अनुपालना तो की गई है परन्तु स्थाई तथा अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है।
4. इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर पंचायत द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

17. दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करना:–

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाये। परन्तु नगर पंचायत अर्की के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये इनका अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18. तुलन–पत्र

नगर पंचायत के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ:–

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा अपने वर्ष 2022–23 के लेखों का तुलन पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। तुलन पत्र के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ वाँछित हैं:–

1. **पंचायत की चल व अचल सम्पत्तियों तथा लेनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना:–** तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें मात्र एक ही सम्पत्ति (निवेश ₹60,00,000/–) दर्शाई गई है। जबकि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर पंचायत के पास निम्नलिखित चल व अचल सम्पत्तियाँ उपलब्ध थीं जिन्हें इस तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है:–

(i) नगर पंचायत के पास अपना दो मंजिला कार्यालय भवन, रैन बसेरा, टाउन हॉल, सामुदायिक भवन, 52 दुकानें, 10 सार्वजनिक शौचालय, 5 वर्षा शलिका, गौसदन, उर्दू साहित्य

पुस्तकालय आदि अनेक अचल सम्पत्तियाँ हैं। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आंकड़ों के अनुसार इनसे इस वित्तीय वर्ष में ₹5,89,831/– की राशि किराये के रूप में वसूल की गई है। परन्तु इन सम्पत्तियों तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है जबकि लेखा सिद्धान्तों अनुसार समस्त चल/अचल सम्पत्तियाँ तुलन–पत्र में दर्शाई जानी आपेक्षित है।

(ii) नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत लेनदारियों की सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर पंचायत द्वारा ₹6556228/– की लेनदारियाँ (गृहकर ₹4089239/–, दुकान किराया ₹188437/–, मोबाईल टॉवर शुल्क ₹50000/–, सफाई शुल्क ₹524952/–, विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1300/–, मुख्यमन्त्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना की प्रतिपूर्ती ₹629950/–तथा एकल प्रयोग प्लास्टिक खरीद प्रतिपूर्ती ₹1072350/–) वसूल करने को शेष थी। उपरोक्त लेनदारियाँ तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई है।

2. **पंचायत देनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना:–** तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें देनदारियाँ शून्य दर्शाई गई हैं जबकि नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् द्वारा ₹447412/– की देनदारियाँ (वस्तु व सेवा कर ₹81216/–, रॉयल्टी ₹321819/– तथा श्रम उपकर ₹44377/–) भुगतान करने को शेष थी।

3. **अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन न करना/करवाना:–** दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार नगर परिषद् द्वारा वार्षिक तुलन पत्र तैयार करने से पहले अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करके उन्हें इसके सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः नगर पंचायत अर्की द्वारा चल व अचल सम्पत्तियाँ, लेनदारियाँ, देनदारियाँ, निर्माण, निक्षेप कार्य के अग्रिम तथा अन्य अग्रिम आदि तुलन पत्र (Balance Sheet) में नहीं दर्शाए गए हैं, जोकि लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में नगर पंचायत अर्की का तुलन–पत्र सम्पत्ति एवं देयताओं (Assets and Liablities) की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। नगर पंचायत की समस्त सम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन–पत्र में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. **लघु आपत्ति विवरणिका:–** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

20. **निष्कर्ष:–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

13 FEB 2024

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं० –0177–2620881

825- 827

पृष्ठांकन संख्या :– (V) 49/फिन (एल०ए०) खण्ड–4 दिनांक, शिमला–09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि०प्र० विधान सभा, शिमला–04 (हि०प्र०) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत :– 3 सचिव, नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

13 FEB 2024

(रविन्द्र कंवर)
उप निदेशक,
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं० –0177–2620881

पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में

परिशिष्ट "1"

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 01.04.2019 से 31.03.2022 में सम्मिलित गत अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की स्थिति

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1967 से 01/1970

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 02/1970 से 03/1972

1	पैरा–4	अनिर्णीत

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1972 से 03/1977

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–11	अनिर्णीत
4	पैरा–12	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1977 से 03/1981

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–9	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (सी)	अनिर्णीत

11	पैरा–14 (डी)	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (ई)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (आई)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (जे)	अनिर्णीत
17	पैरा–15	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–21	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–25 (सी)	अनिर्णीत

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1982 से 03/1983

1	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1983 से 03/1987

1	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 03/1989

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–16	अनिर्णीत
7	पैरा–17	अनिर्णीत

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1989 से 03/1994

1	पैरा–5 (ii)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (iii) (जी)	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत
6	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (i) (के)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (i) (के,एच)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (ii)(के)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (iii)(के)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (iv)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (iv)(के)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (iv)(के, एच)	अनिर्णीत
15	पैरा–11 (iv) (जी)	अनिर्णीत
16	पैरा–11 (iv)(जी, एच)	अनिर्णीत
17	पैरा–11 (iv) (ए0एन0जी0)	अनिर्णीत
18	पैरा–11 (v)	अनिर्णीत
19	पैरा–11 (v)(के)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (v)(के,एच)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (v)(जी)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (v)(जी, एच)	अनिर्णीत
23	पैरा–11 (v)(ए, एन, जी)	अनिर्णीत
24	पैरा–11 (vi)(के)	अनिर्णीत
25	पैरा–11 (vi) (के,एच)	अनिर्णीत
26	पैरा–11 (vii)	अनिर्णीत
27	पैरा–11 (vii)(के)	अनिर्णीत

28	पैरा–11 (vii) (के, एच)	अनिर्णीत
29	पैरा–11 (vii)(जी)	अनिर्णीत
30	पैरा–11 (vii)(जी,एच)	अनिर्णीत
31	पैरा–11 (vii) (ए,एन,जी)	अनिर्णीत
32	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत
33	पैरा–11 (xi)	अनिर्णीत
34	पैरा–11 (x) (के)	अनिर्णीत
35	पैरा–11 (x) (के, एच)	अनिर्णीत
36	पैरा–11 (xii)	अनिर्णीत
37	पैरा–11 (xii)(के)	अनिर्णीत
38	पैरा–11 (xii) (के, एच)	अनिर्णीत
39	पैरा–11 (xii)(जी)	अनिर्णीत
40	पैरा–11 (xii)(जी, एच)	अनिर्णीत
41	पैरा–11 (xiii)(के)	अनिर्णीत
42	पैरा–11 (xiii) (के, एच)	अनिर्णीत
43	पैरा–11 (xiii)(जी)	अनिर्णीत
44	पैरा–11 (xiv)	अनिर्णीत
45	पैरा–11 (xv)(के)	अनिर्णीत
46	पैरा–11 (xv)(के, एच)	अनिर्णीत
47	पैरा–11 (xv)(जी)	अनिर्णीत
48	पैरा–11 (xv) (जी,एच)	अनिर्णीत
49	पैरा–11 (xv) (ए0एन0जी)	अनिर्णीत
50	पैरा–11 (xv)(बी)	अनिर्णीत
51	पैरा–11 (xv)(बी)	अनिर्णीत
52	पैरा–11 (xvi) (k)	अनिर्णीत

53	पैरा–11 (xvi) (kh)	अनिर्णीत
54	पैरा–11 (xvi) (g)	अनिर्णीत
55	पैरा–11 (xvii)	अनिर्णीत
56	पैरा–11 (xviii)	अनिर्णीत
57	पैरा–11 (xix)	अनिर्णीत
58	पैरा–11 (xx)	अनिर्णीत
59	पैरा–11 (xxi) (k)	अनिर्णीत
60	पैरा–11 (xxi) (kh)	अनिर्णीत
61	पैरा–11 (xxi) (g)	अनिर्णीत
62	पैरा–11 (xxi) (gh)	अनिर्णीत
63	पैरा–11 (xxi) (ahg)	अनिर्णीत
64	पैरा–11 (xxi) (ch)	अनिर्णीत
65	पैरा–11 (xxi) (chh)	अनिर्णीत
66	पैरा–11 (xxii) (k)	अनिर्णीत
67	पैरा–11 (xxii) (kh)	अनिर्णीत
68	पैरा–12 (i) (k)	अनिर्णीत
69	पैरा–12 (i) (kh)	अनिर्णीत
70	पैरा–12 (i) (g)	अनिर्णीत
71	पैरा–12 (ii)	अनिर्णीत
72	पैरा–12 (iii)	अनिर्णीत
73	पैरा–12 (iv)	अनिर्णीत
74	पैरा–12 (v)	अनिर्णीत
75	पैरा–12 (vi)	अनिर्णीत
76	पैरा–13	अनिर्णीत
77	पैरा–14	अनिर्णीत

103	पैरा–20 (ix)	अनिर्णीत
104	पैरा–20 (ix) (k)	अनिर्णीत
105	पैरा–20 (ix) (kh)	अनिर्णीत

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1994 से 03/1997

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 3(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(kh)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(k)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(kh)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(g)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(gh)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(ng)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ch)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(chh)	अनिर्णीत
12	पैरा 5(j)	अनिर्णीत
13	पैरा 5(jh)	अनिर्णीत
14	पैरा 7(ch)	अनिर्णीत
15	पैरा 8(k)	अनिर्णीत
16	पैरा 8(kh)	अनिर्णीत
17	पैरा 9	अनिर्णीत
18	पैरा 10(kh)(i)	अनिर्णीत
19	पैरा 10(kh)(ii)	अनिर्णीत
20	पैरा 10(kh)(iii)	अनिर्णीत
21	पैरा 12	अनिर्णीत
22	पैरा 13	अनिर्णीत

23	पैरा 14	अनिर्णीत
24	पैरा 15(k)	अनिर्णीत
25	पैरा 7(k)	अनिर्णीत
26	पैरा 7(ng)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(kh)(i)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(kh)(iii)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(kh)(iv)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(kh)(v)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(kh)(vi)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(kh)(vii)	अनिर्णीत
33	पैरा 16	अनिर्णीत
34	पैरा 17(k)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 17(k)(ii)	अनिर्णीत
36	पैरा 17(k)(iii)	अनिर्णीत
37	पैरा 17(k)(iv)	अनिर्णीत
38	पैरा 17(kh)(i)	अनिर्णीत
39	पैरा 17(kh)(ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 17(kh)(iii)	अनिर्णीत
41	पैरा 17(kh)(iv)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(g)(i)	अनिर्णीत
43	पैरा 17(g)(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 17(g)(iii)	अनिर्णीत
45	पैरा 17(gh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 17(gh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 17(gh)(iii)	अनिर्णीत

48	पैरा 17(gh)(iv)	अनिर्णीत
49	पैरा 17(ng)(i)	अनिर्णीत
50	पैरा 17(ang)(ii)	अनिर्णीत
51	पैरा 17(ng)(iii)	अनिर्णीत
52	पैरा 17(ng)(iv)	अनिर्णीत
53	पैरा 17(ng)(v)	अनिर्णीत
54	पैरा 17(ng)(vi)	अनिर्णीत
55	पैरा 17(ch)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 17(ch)(ii)	अनिर्णीत
57	पैरा 17(ch)(iii)	अनिर्णीत
58	पैरा 17(ch)(iv)	अनिर्णीत
59	पैरा 17(chh)(i)	अनिर्णीत
60	पैरा 17(chh)(ii)	अनिर्णीत
61	पैरा 21(k)	अनिर्णीत
62	पैरा 2(kh)	अनिर्णीत
63	पैरा 21(g)	अनिर्णीत
64	पैरा 21(gh)	अनिर्णीत
65	पैरा 22	अनिर्णीत
66	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
67	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
68	पैरा 24(j)	अनिर्णीत
69	पैरा 24(yen)	अनिर्णीत
70	पैरा 25	अनिर्णीत
71	पैरा 26(iv)	अनिर्णीत
72	पैरा 26(v)	अनिर्णीत

73	पैरा 26(vi)	अनिर्णीत
74	पैरा 26(vii)	अनिर्णीत
75	पैरा 26(viii)	अनिर्णीत
76	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
77	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
78	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
79	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
80	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
81	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
82	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
83	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
84	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
85	पैरा 26(ix)	अनिर्णीत
86	पैरा 26(x)	अनिर्णीत
87	पैरा 26(xi)	अनिर्णीत
88	पैरा 26(xii)	अनिर्णीत
89	पैरा 26(xiii)	अनिर्णीत
90	पैरा 26(xiv)	अनिर्णीत
91	पैरा 26(xvi)	अनिर्णीत
92	पैरा 26(xvii)	अनिर्णीत
93	पैरा 26(xviii)	अनिर्णीत
94	पैरा 26(xix)	अनिर्णीत
95	पैरा 26(xx)	अनिर्णीत
96	पैरा 26(xxi)	अनिर्णीत
97	पैरा 26(xxiii)	अनिर्णीत

98	पैरा 26(xxiv)	अनिर्णीत
99	पैरा 28	अनिर्णीत

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2005

1	पैरा 3(kh)	अनिर्णीत
2	पैरा 3(gh)(i)	अनिर्णीत
3	पैरा 3(gh)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 7	अनिर्णीत
5	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 8(ii)	अनिर्णीत
7	पैरा 9	अनिर्णीत
8	पैरा 10(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 10(k)	अनिर्णीत
10	पैरा 10(kh)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
12	पैरा 11(k)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(kh)(i)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(kh)(ii)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(kh)(iii)	अनिर्णीत
16	पैरा 11(kh)(iv)	अनिर्णीत
17	पैरा 11(kh)(v)	अनिर्णीत
18	पैरा 11(kh)(vi)	अनिर्णीत
19	पैरा 11(kh)(vii)	अनिर्णीत
20	पैरा 11(kh)(viii)	अनिर्णीत
21	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 11(kh)(x)	अनिर्णीत

23	पैरा 11(kh)(xi)	अनिर्णीत
24	पैरा 11(kh)(xii)	अनिर्णीत
25	पैरा 11(kh)(xiii)	अनिर्णीत
26	पैरा 11(kh)(xiv)	अनिर्णीत
27	पैरा 11(kh)(xv)	अनिर्णीत
28	पैरा 11(kh)(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 11(kh)(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 11(kh)(xviii)	अनिर्णीत
31	पैरा 11(kh)(xix)	अनिर्णीत
32	पैरा 11(g)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 11(g)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 11(chh)	अनिर्णीत
35	पैरा 11(ng)	अनिर्णीत
36	पैरा 11(ch)	अनिर्णीत
37	पैरा 12(i)	अनिर्णीत
38	पैरा 12(ii)	अनिर्णीत
39	पैरा 13	अनिर्णीत
40	पैरा 14	अनिर्णीत
41	पैरा 15	अनिर्णीत
42	पैरा 16	अनिर्णीत
43	पैरा 17	अनिर्णीत
44	पैरा 18(k)	अनिर्णीत
45	पैरा 18(kh)(i)	अनिर्णीत
46	पैरा 18(kh)(ii)	अनिर्णीत
47	पैरा 18(g)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 18(g)(ii)	अनिर्णीत

49	पैरा 18(gh)(i) & (ii)	अनिर्णीत
50	पैरा 18(ng)	अनिर्णीत
51	पैरा 18(ch)	अनिर्णीत
52	पैरा 18(chh)(i)	अनिर्णीत
53	पैरा 18(chh)(ii)	अनिर्णीत
54	पैरा 18(j)	अनिर्णीत
55	पैरा 18(j)(i)	अनिर्णीत
56	पैरा 18(nh)	अनिर्णीत
57	पैरा 18(t)(i)	अनिर्णीत
58	पैरा 18(t)(ii)	अनिर्णीत
59	पैरा 18(th)	अनिर्णीत
60	पैरा 18(dh)(i)	अनिर्णीत
61	पैरा 18(dh)(ii)	अनिर्णीत
62	पैरा 18(dh)(iii)	अनिर्णीत
63	पैरा 18(adn)(i)	अनिर्णीत
64	पैरा 18(dn)(ii)	अनिर्णीत
65	पैरा 18(dn)(iii)	अनिर्णीत
66	पैरा 18(nh)(i)	अनिर्णीत
67	पैरा 18(nh)(ii)	अनिर्णीत
68	पैरा 18(t)	अनिर्णीत
69	पैरा 18(n)	अनिर्णीत
70	पैरा 18(p)	अनिर्णीत
71	पैरा 18(ph)	अनिर्णीत
72	पैरा 18(b)	अनिर्णीत
73	पैरा 19(kh)	अनिर्णीत

74	पैरा 19(g)	अनिर्णीत
75	पैरा 19(gh)(i)	अनिर्णीत
76	पैरा 19(gh)(ii)	अनिर्णीत
77	पैरा 19(gh)(iii)	अनिर्णीत
78	पैरा 19(ng)	अनिर्णीत
79	पैरा 19(ch)	अनिर्णीत
80	पैरा 19(chh)(i)	अनिर्णीत
81	पैरा 19(chh)(ii)	अनिर्णीत
82	पैरा 19(chh)(iii)	अनिर्णीत
83	पैरा 19(chh)(iv)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(j)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(j)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(j)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(jh)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(jh)(ii)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(jh)(iii)	अनिर्णीत
90	पैरा 20(k)	अनिर्णीत
91	पैरा 20(kh)	अनिर्णीत
92	पैरा 20(g)	अनिर्णीत
93	पैरा 20(gh)	अनिर्णीत
94	पैरा 20(ch)	अनिर्णीत
95	पैरा 20(ch)(i)	अनिर्णीत
96	पैरा 20(ch)(ii)	अनिर्णीत
97	पैरा 20(ch)(iii)	अनिर्णीत
98	पैरा 20(ch)(iv)	अनिर्णीत

99	पैरा 20(ch)(v)	अनिर्णीत
100	पैरा 20(ch)(vi)	अनिर्णीत
101	पैरा 20(ch)(vii)	अनिर्णीत
102	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
103	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
104	पैरा 22(kh)	अनिर्णीत
105	पैरा 22(g)	अनिर्णीत
106	पैरा 23(k)	अनिर्णीत
107	पैरा 23(kh)	अनिर्णीत
108	पैरा 23(g)	अनिर्णीत
109	पैरा 23(gh)(i)	अनिर्णीत
110	पैरा 23(ch)(i)	अनिर्णीत
111	पैरा 23(chh)	अनिर्णीत
112	पैरा 23(j)	अनिर्णीत
113	पैरा 23(jh)	अनिर्णीत
114	पैरा 23(anh)	अनिर्णीत
115	पैरा 23(t)	अनिर्णीत
116	पैरा 24(k)	अनिर्णीत
117	पैरा 24(kh)	अनिर्णीत
118	पैरा 24(g)	अनिर्णीत
119	पैरा 25(i)	अनिर्णीत
120	पैरा 25(iii)	अनिर्णीत
121	पैरा 26(k)	अनिर्णीत
122	पैरा 26(kh)	अनिर्णीत
123	पैरा 26(g)	अनिर्णीत

124	पैरा 26(gh)	अनिर्णीत
125	पैरा 26(ng)	अनिर्णीत
126	पैरा 26(बी)	अनिर्णीत
127	पैरा 26(बी)	अनिर्णीत
128	पैरा 27	अनिर्णीत

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2007

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 4(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 4(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 4(डी)	अनिर्णीत
5	पैरा 4(डी)(i)	अनिर्णीत
6	पैरा 4(एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा 4(जी)	अनिर्णीत
8	पैरा 6(i)	अनिर्णीत
9	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
10	पैरा 6(iv)	अनिर्णीत
11	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(X)(इ)	अनिर्णीत
13	पैरा 6(xi)	अनिर्णीत
14	पैरा 6(xii)	अनिर्णीत
15	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत
16	पैरा 7(i)	अनिर्णीत
17	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
18	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
19	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
20	पैरा 7(v)	अनिर्णीत
21	पैरा 8(i)	अनिर्णीत

22	पैरा 8(ii)		अनिर्णीत	

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2010

1	पैरा 4.3	अनिर्णीत		
2	पैरा 4.4	अनिर्णीत		
3	पैरा 4.5	अनिर्णीत		
4	पैरा 5	अनिर्णीत		
5	पैरा 6.1	निर्णीत	किराया बढ़ौतरी न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
6	पैरा 6.2	अनिर्णीत		
7	पैरा 6.2.1	अनिर्णीत		
8	पैरा 6.2.2	अनिर्णीत		
9	पैरा 6.5	अनिर्णीत		
10	पैरा 6.7	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया।
11	पैरा 6.8	निर्णीत	टैन्डर स्टॉक रजिस्टर भिलेख प्रस्तुत न करना।	अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया।
12	पैरा 6.10	निर्णीत	मदिरा शुल्क से प्राप्त आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	मदिरा उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
13	पैरा 6.11	निर्णीत	बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना	बिजली उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
14	पैरा 7	अनिर्णीत		
15	पैरा 7.1.1 & 7.1.2	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया।
16	पैरा 7.2 to 7.2.3	अनिर्णीत		
17	पैरा 7.3	अनिर्णीत		
18	पैरा 8.1	अनिर्णीत		

19	पैरा 8.3	अनिर्णीत		
20	पैरा 8.3.1	अनिर्णीत		
21	पैरा 8.3.2	अनिर्णीत		
22	पैरा 8.4	अनिर्णीत		
23	पैरा 8.5	अनिर्णीत		
24	पैरा 8.6	अनिर्णीत		
25	पैरा 8.7	अनिर्णीत		
26	पैरा 8.8	अनिर्णीत		
27	पैरा 8.9	अनिर्णीत		
28	पैरा 8.9.1	निर्णीत	निविदायें प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
29	पैरा 8.9.2	निर्णीत	भुगतान आदेश पारित न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	पैरा 8.9.4	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
31	पैरा 8.10	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
32	पैरा 9	अनिर्णीत		
33	पैरा 9.3	अनिर्णीत		
34	पैरा 10	अनिर्णीत		
35	पैरा 10.2	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
36	पैरा 11.1	निर्णीत	अभिलेख प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2015

1	पैरा–4.4	निर्णीत	बैंक जमा के स्त्रोत बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
2	पैरा–5.2	अनिर्णीत		

3	पैरा–11	निर्णीत	बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना	बिजली उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
4	पैरा–12	निर्णीत	मदिरा शुल्क से प्राप्त आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	मदिरा उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
5	पैरा–13	निर्णीत	बिजली व मदिरा उपकर के अभिलेख का संरक्षण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
6	पैरा–15	अनिर्णीत		
7	पैरा–16	निर्णीत	अंशदायी पैन्शन योजना से सम्बन्धित वसूली	रसीद संख्या 0140/0077 दिनांक 08.09.2022 तथा 0140/0081 दिनांक 08.09.2022 द्वारा क्रमशः श्री रमेश एवं श्री सुरेश प्रत्येक से ₹704 तथा रसीद संख्या 12/162 दिनांक 18.12.2023 द्वारा स्व. लीला देवी से वसूली योग्य कुल ₹255 की वसूली की मूल अभिलेख से सत्यापन कर लिया गया।
8	पैरा–17	निर्णीत	अंशदायी पैन्शन योजना में नियोक्ता हिस्से से सम्बन्धित वसूली	कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
9	पैरा–18 (1 से 4)	निर्णीत	श्री जगदीश तनवर को पैन्शन आदि का अधिक भुगतान।	₹64694/– की वसूली का सत्यापन वसूली रजिस्टर के पृष्ठ 320 पर माह 09/2016 से 06/2018 तक किये जाने का सत्यापन कर लिया।
10	पैरा–19.3	अनिर्णीत		
11	पैरा–20	अनिर्णीत		
12	पैरा–21	अनिर्णीत		
13	पैरा–22	अनिर्णीत		

14	पैरा–24	अनिर्णीत		
15	पैरा–25	अनिर्णीत		
16	पैरा–26	अनिर्णीत		
17	पैरा–28	अनिर्णीत		
18	पैरा–29	निर्णीत	सत्यापित आहरण व वितरण विवरणियों बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
19	पैरा–30	अनिर्णीत		
20	पैरा–31	निर्णीत	अग्रिम राशि समायोजन के अभिलेख बारे।	कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
21	पैरा–32	अनिर्णीत		
22	पैरा–33	अनिर्णीत		
23	पैरा–34	अनिर्णीत		
24	पैरा–35	अनिर्णीत		
25	पैरा–36	अनिर्णीत		
26	पैरा–37	अनिर्णीत		
27	पैरा–38	अनिर्णीत		
28	पैरा–40	अनिर्णीत		
29	पैरा–43	अनिर्णीत		

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा–11	निर्णीत	बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना	बिजली उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
2	पैरा–14	अनिर्णीत		
3	पैरा–17	अनिर्णीत		
4	पैरा–21	अनिर्णीत		

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2017 से 03/2019

1	पैरा–9.2	निर्णीत	दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण न	₹18716 की वसूली का सत्यापन कर लिया गया तथा शेष ₹8571 की राशि

			करने के कारण ₹0.27 लाख की हानि।	का अद्यतन करके वर्तमान अंकेक्षण में आपत्ति प्रारूपित की गई है।
2	पैरा–9.3	निर्णीत	दुकानों के किराये में दस सालों तक वृद्धि न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	पैरा–9.4	निर्णीत	स्टोर को 13 वर्षो पश्चात भी किराये पर न देना	सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा इस सम्पत्ति का प्रयोग स्वयं नगर पंचायत द्वारा किये जाने के दृष्टिगत निर्णीत।
4	पैरा–9.5	निर्णीत	बकाया दुकान किराया की वसूली न करना।	इस वसूली राशि का अद्यतन करके वर्तमान अंकेक्षण में आपत्ति प्रारूपित की गई है।
5	पैरा–10.2	निर्णीत	गृहकर वसूली की सूचना अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
6	पैरा–10.3	निर्णीत	गृहकर वसूली पर अनियमित छूट प्रदान करना।	इस वसूली राशि का अद्यतन करके वर्तमान अंकेक्षण में आपत्ति प्रारूपित की गई है।
7	पैरा–10.4	निर्णीत	गृहकर वसूली पर अनियमित छूट प्रदान करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
8	पैरा–10.5	निर्णीत	गृहकर वसूली पर 10 प्रतिशत की दर से अनियमित छूट प्रदान करना।	नगर पंचात के उप नियमों में इस छूट बारे किये गये प्रावधान के आधार पर निर्णीत।
9	पैरा–10.6	अनिर्णीत		
10	पैरा–14	अनिर्णीत		
11	पैरा–15	अनिर्णीत		
12	पैरा–17	निर्णीत	––	मूल प्रतिवेदन में किसी भी अनुच्छेद का क्रमांक 17 अंकित नहीं है। परन्तु चूकवश अवधि 04/2019 से 03/2022 के प्रतिवेदन में यह

				अनिर्णीत दर्शाया गया है।
13	पैरा–17.1	निर्णीत	विज्ञापन रजिस्टर का अनुरक्षण न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
14	पैरा–17.2	निर्णीत	समाचार पत्रों में सीधे विज्ञापन देने से हानि।	वर्तमान में की जा रही अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
15	पैरा–18	निर्णीत	गौशाला निर्माण हेतु ₹21.43 लाख का निष्फल व्यय।	इस गौशाला का संचालन आरम्भ हो जाने वाँछित उदेश्य की पूर्ती हो जाने बारे प्रस्तुत अभिलेख के सत्यापन के दृष्टिगत निर्णीत।
16	पैरा–19.1	निर्णीत	श्रीमति लक्ष्मी देवी, लिपिक को बकाया वेतन का दो बार भुगतान करने के कारण ₹3453 का अधिक भुगतान।	₹3453/– की वसूली का सत्यापन रसीद संख्या 100/161 दिनांक 15.12.2023 से कर लिया गया।
17	पैरा–20	अनिर्णीत	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में ₹2.13 लाख के विचलन का अनियमित भुगतान।	

(15) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2022

1	पैरा–1 व 2	निर्णीत	सूचनार्थ।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2	पैरा–3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क।	भुगतान की पुष्टि कर ली गई।
3	पैरा–4 व 4.1	निर्णीत	वित्तीय स्थिति।	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
4	पैरा–4.2	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी।	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
5	पैरा–5	निर्णीत	अनुदान।	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद

				प्रारूपित।
6	पैरा–5.1	निर्णीत	अनुदान की ₹169.96 लाख उपयोग हेतु शेष	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
7	पैरा–5.2	अनिर्णीत	₹268.48 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना	
8	पैरा–5.3	निर्णीत	अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना	वर्तमान प्रतिवेदन में अनुच्छेद पुनः प्रारूपित।
9	पैरा–6	निर्णीत	सावधि निवेश से प्राप्त हो सकने वाले अतिरिक्त ब्याज की हानि	वर्तमान प्रतिवेदन में अनुच्छेद पुनः प्रारूपित।
10	पैरा–7	निर्णीत	मात्र सूचनार्थ।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
11	पैरा–8	निर्णीत	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
12	पैरा–8.1	अनिर्णीत	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से ₹202290 का अनियमित व्यय करना।	
13	पैरा–8.2	अनिर्णीत	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में नगर पंचायत अंशदान जमा न करना।	
14	पैरा–9	निर्णीत	दुकानों के किराए की बकाया ₹2.45 लाख वसूली हेतु शेष	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
15	पैरा–9.1	अनिर्णीत	दुकानों के बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹0.16 लाख का अन्तर	

16	पैरा–9.2	निर्णीत	दुकानों के किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण व नियमानुसार 5 वर्षों के पश्चात किराया बढ़ौतरी न करने के कारण नगर पंचायत को ₹0.06 लाख की वित्तीय हानि	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
17	पैरा–9.3	अनिर्णीत	दस वर्षों के उपरान्त भी न तो दुकान का बकाया किराया वसूल किया जाना और न ही दुकान खाली करवाई जाना	
18	पैरा–9.4	अनिर्णीत	दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹1.94 लाख के राजस्व की हानि	
19	पैरा–9.5	निर्णीत	**दुकान संख्या 11 के देय किराये के विरुद्ध ₹8378 का अनियमित समायोजन**	सचिव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के आधार पर निर्णीत।
20	पैरा–9.6	निर्णीत	**संशोधित दर से किराया की वसूली न किये जाने के कारण ₹0.05 लाख की हानि**	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
21	पैरा–9.7	अनिर्णीत	**मूल आबंटियो द्वारा उप-पट्टे (sublet) पर दी गयी दुकानों का नगर पंचायत, अर्की द्वारा उप-पट्टेधारियों को ही अनियमित आबंटन**	
22	पैरा–9.8	निर्णीत	अनुबंध मे देय किराये की राशि	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया

			को विलम्ब से जमा करवाने पर दण्ड शुल्क का प्रावधान करना एव उसकी कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करना।	गया।
23	पैरा–10.1	निर्णीत	**घर-घर से कूड़ा उठाने से आय की बकाया ₹4.01 लाख वसूली हेतु शेष**	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
24	पैरा–10.2	निर्णीत	**घर-घर से कूड़ा उठाने से सम्बंधित मांग एवं प्राप्ति पंजिका में वर्ष के अंत में बकाया राशि को अगले वर्ष कम दर्शाने के कारण ₹0.25 लाख की हानि**	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
25	पैरा–10.3	निर्णीत	**घर-घर से कूड़ा उठाने के यूजर चार्जेज** (User Charges) **निर्धारित दर से कम दर पर वसूल किये जाने के कारण ₹0.12 लाख की हानि**	मांग व सन्ग्रहण रजिस्टर में अद्यतन किये जाने के दृष्टिगत निर्णीत।
26	पैरा–10.4	अनिर्णीत	**घर-घर से कूड़ा उठाने के यूजर चार्जेज** (User Charges) **पर अनियमित छूट दिए जाने के कारण ₹0.02 लाख की हानि**	
27	पैरा–11.1	निर्णीत	गृहकर की बकाया ₹40.50 लाख वसूली हेतु शेष	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।
28	पैरा–11.2	अनिर्णीत	गृहकर की बकाया किराये की राशि के आरम्भिक शेष में ₹22.10 लाख का अन्तर	

29	पैरा–11.3	निर्णीत	गृहकर/सम्पत्ति की कर गत वर्ष/वर्षों की राशि बकाया होने पर भी वर्तमान मांग पर तथा वर्तमान मांग का यथासमय भुगतान न करने पर भी गृहकर पर अनियमित रूप से ₹4872 की छूट प्रदान करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
30	पैरा–12	निर्णीत	वित्तीय वर्ष 2020–21व 2021–22 के दौरान देय बिजली उपकर की राशि की वसूली न करना	बिजली उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
31	पैरा–13	निर्णीत	मदिरा शुल्क से प्राप्त आय से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	मदिरा उपकर की वसूली करने बारे कृत अनुपालना का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
32	पैरा–14	निर्णीत	मोबाईल टावर शुल्क ₹0.37 लाख वसूली हेतु शेष	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारुपित।
33	पैरा–15	निर्णीत	SOLID WASTE MANAGEMENT PLANT **में उर्वरक उत्पादन से शून्य आय**	कृत अनुपालना तथा खाद की बिक्री सम्बन्धी का सत्यापन मूल अभिलेख से कर लिया गया।
34	पैरा–16	निर्णीत	संस्थापना पर किये गए व्यय बारे सूचना उपलब्ध न करवाना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
35	पैरा–17	अनिर्णीत	पार्किंग कम्पलैक्स का निर्माण योजना अनुसार उपयुक्त स्थान पर न करने के कारण पार्किंग निर्माण कार्यों पर ₹27.51 लाख का निष्फल व्यय	
36	पैरा–18	निर्णीत	**गौशाला से सम्बन्धित आय व् व्यय**	गौशाला संचालन का कार्य श्री जगत

			बारे सूचना उपलब्ध न करवाना	राम को समस्त संचालन व्यय सहित सौपने के दृष्टिगत निर्णीत।
37	पैरा–19.1	अनिर्णीत	श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक का गलत वेतन निर्धारण व् ACPS का अनियमित लाभ प्रदान करने के कारण दिए जा रहे वेतन की अदायगी गत अंकेक्षण प्रतिवेदन 01.04.2017 से 31.03. 2019 के पैरा संख्या 19.2 द्वारा आपत्ति उठाये जाने के पश्चात भी वर्तमान अंकेक्षण अवधि में भी ज़ारी रखे जाने के कारण कुल ₹0.31 लाख के वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान	
38	पैरा–19.2	अनिर्णीत	मास मार्च, 2022 के वाउचर द्वारा श्री राम कर्ण, कनिष्ठ सहायक को हि.प्र. वेतन संशोधन 2022 के अंतर्गत बकाया राशि की अधिक अदायगी	
39	पैरा–19.3	निर्णीत	यात्रा भत्ता दावों में ₹0.01 लाख का अनियमित अधिक भुगतान	रसीद संख्या 10/162 दिनांक 18.12. 2023 द्वारा ₹384/– तथा 11/162 दिनांक 18.12.2023 द्वारा ₹770/– की वसूली का सत्यापन से कर लिया गया।
40	पैरा–19.4	निर्णीत	वेतन प्रकरणों के अभिलेख से संबंधित विविध आपत्तियां	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

41	पैरा–20.1	अनिर्णीत	**दोहरी पेंशन आहरित कर रहे पेंशनभोगी को संभावित अनियमित अधिक भुगतान**	
42	पैरा–20.2	अनिर्णीत	**श्रीमति निर्मला, पारिवारिक पेंशनर को वर्ष 2016 से महंगाई राहत (Dearness Relief) के बिना ही पारिवारिक पेंशन की अदायगी के कारण संभावित कम भुगतान**	
43	पैरा–20.3	निर्णीत	पैन्शनधारको के जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना।	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
44	पैरा–20.4	निर्णीत	पैन्शन खाता बही का संधारण नहीं करना।	वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत निर्णीत।
45	पैरा–21.1	अनिर्णीत	**संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से Royalty की कटौती नहीं किये जाने के कारण सरकारी राजस्व को ₹2.61 लाख की हानि**	
46	पैरा–21.2	अनिर्णीत	CC R/Wall B/Wall की कार्य मात्रा से PVC Weepholes की कार्य मात्रा न घटाने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान	
47	पैरा–21.3	निर्णीत	**संविदाकार के निर्माण कार्य बिलों से कटौती की गयी श्रम कर की राशि को श्रम विभाग तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड,**	अद्यतन के पश्चात नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण में अनुच्छेद प्रारूपित।

			खलिनी, शिमला में जमा न करवाना- ₹1.50 (अनुमानित)लाख	
48	पैरा–21.4	निर्णीत	निर्माण कार्यों का नियमानुसार अभिलेख तैयार न किया जाना व निर्माण कार्यों में प्रावधित नियमों की अवहेलना करना	वर्तमान प्रतिवेदन में अनुच्छेद पुनः प्रारूपित।
49	पैरा–22	निर्णीत	सामान्य भविष्य निधि, पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न करना	वर्तमान प्रतिवेदन में अनुच्छेद पुनः प्रारूपित।
50	पैरा–23	निर्णीत	दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख–रखाव न करना	वर्तमान प्रतिवेदन में अनुच्छेद पुनः प्रारूपित।
51	पैरा–23.1	निर्णीत	उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी नगर पंचायत द्वारा रख–रखाव नहीं किया जा रहा था	वर्तमान प्रतिवेदन में अनुच्छेद पुनः प्रारूपित।
52	पैरा–24	निर्णीत	रोकड़ बही को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
53	पैरा–25 व 26	निर्णीत	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।	

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2022 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	534
4/22 से 3/23 के दौरान लगाए गए पैर (+)	18
कुल	552
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (–)	72
शेष	480

Yearwise detail of the previous settled/unsettled Audit Paras and sub paras in r/o Nagar Panchayat Arki, Distt. Solan, H.P.

Sr	Audit Period	Total paras unsettled as on 01-04-2022	Number of paras settled during current Audit	Number of paras still unsettled as on 31-03-2023
1	04/1967 to 03/1970	2	0	2
2	04/1970 to 03/1972	1	0	1
3	04/1972 to 03/1977	5	0	5
4	04/1977 to 03/1981	22	0	22
5	04/1982 to 03/1983	2	0	2
6	04/1983 to 03/1987	2	0	2
7	04/1987 to 03/1989	7	0	7
8	04/1989 to 03/1994	105	0	105
9	04/1994 to 03/1997	99	0	99
10	04/1997 to 03/2005	128	0	128
11	04/2005 to 03/2007	22	0	22
12	04/2007 to 03/2010	36	12	24
13	04/2010 to 03/2015	29	9	20
14	04/2015 to 03/2017	4	1	3
15	04/2017 to 03/2019	17	13	4
16	04/2019 to 03/2022	53	37	16
	Total	**534**	**72**	**462**

(पैरा संख्या 5.1.1

Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP

Financial Position for the year 2022-23

	Opening Balance	Income	Interest on Investments	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	**Closing Balance (6-7)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Own Sources	₹ 31,09,437.02	₹ 2,21,11,313.00	₹ 5,90,195.00	₹ 2,27,01,508.00	₹ 2,58,10,945.02	₹ 1,28,54,250.05	**₹ 1,29,56,694.97**
Grant In Aid	₹ 1,69,96,021.44	₹ 2,56,40,478.00	₹ 0.00	₹ 2,56,40,478.00	₹ 4,26,36,499.44	₹ 2,65,90,465.00	**₹ 1,60,46,034.44**
Pension Fund	₹ 6,09,885.00	₹ 0.00	₹ 17,100.00	₹ 17,100.00	₹ 6,26,985.00	₹ 0.00	**₹ 6,26,985.00**
Total	**₹ 2,07,15,343.46**	**₹ 4,77,51,791.00**	**₹ 6,07,295.00**	**₹ 4,83,59,086.00**	**₹ 6,90,74,429.46**	**₹ 3,94,44,715.05**	**₹ 2,96,29,714.41**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

नगर पंचायत अर्की जिला सोलन हि0प्र0

सावधि जमाः– नगर पंचायत अर्की के अवधि 4/2022 से 3/2023 के दौरान सावधि में जमा में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है:–

क0 सं0	सावधि सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	अवधि	ब्याज	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज राशि	बैंक का नाम
1.	6518000R00009760	03.09.2022	60,00,000	405 दिन	6.10%	13.10.2023	66,17,071	617071	पंजाब नैशनल बैंक अर्की

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

74

C पैरा संख्या 5.1.2

परिशिष्ट ४'ग'

Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP

Reconciliation of cash book/bank balances and financial position balances as on 31-03-2023

	Particulars		Balance
1	**Balance as per Financial position and Cash Book as on 31-03-2023**		**₹ 2,96,29,714.41**
2	Less: Income cheques deposited in bank but not yet credited:-		
3	DD No. 295136 dated 30.01.2017 received from Bharti Infratel Ltd. vide Receipt No. 50/0060 dated 27.04.2017 deposited in Bank but no credit received	₹ 6,250.00	
4	Cheque No. 399017 dated 22.03.2021 deposited into Bank but not credited deposited vide Receipt No. 113/0025 dated 22.03.2021 by Shri Sunil Kumar on account of two month Advance for Parking fees	₹ 60,364.00	
5	Cash deposited in UCO bank A/c 0390100009843 on 15-03-2023 was erroneously credited to A/c No. 0390100009842. Rectification for this errors was carried out on 24-05-2023	₹ 11,520.00	
6	Total for income/cheques not yet credited by bank		₹ 78,134.00
7	**Rectified Balance of cash book after above reduction:-**		**₹ 2,95,51,580.41**
8	Detail of funds available in bank accounts as on 31-03-2023:-		
9	**PNB Arki FDR No. 6518000R00009760**	**₹ 60,00,000.00**	
10	Punjab National Bank Arki 6518000100012763	₹ 24,53,074.34	
11	Punjab National Bank Arki 6518000100046487	₹ 66,19,140.73	
12	Punjab National Bank Arki 6518000100042551	₹ 5,752.00	
13	Punjab National Bank Arki 6518000100045752	₹ 1,967.00	
14	Punjab National Bank Arki 6518000100046353	₹ 67,70,710.00	
15	Punjab National Bank Arki 6518000100046362	₹ 88,333.00	
16	Punjab National Bank Arki 6518000100049457	₹ 5,293.00	
17	Punjab National Bank Arki 6518000100047769	₹ 1.00	
18	ICICI Bank Darlaghat 367201000548	₹ 45,498.00	
19	Jogindra Central Coop Bank Arki 100134001003752	₹ 6,26,985.00	
20	Jogindra Central Coop Bank Arki 100134001004625	₹ 8,65,611.00	
21	UCO Bank Arki 03920100009843	₹ 3,14,527.47	
22	SBI Arki 55136118262	₹ 54,34,723.82	
23	HDFC Kunihar 50100228105010	₹ 2,61,440.55	
24	Post Office Arki 239333	₹ 1,523.50	
25	Nem Chand (GPF Advance)	₹ 15,000.00	
26	Ramesh Chand (GPF Advance)	₹ 42,000.00	
27	**Total For SB and FDR Accounts balance as on 31-03-2023**		₹ 2,95,51,580.41
28	**Difference**		₹ 0.00

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

72 75

नगर पंचायत अर्की जिला सोलन हि0प्र0

पैंशन एवं ग्रेच्युटी निधिः– नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की पैंशन एवं ग्रेच्युटी लेखाओं की वितीय स्थिति निम्नलिखित है:–

वितीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जमा अंशदान	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अंतशेष
2022–23	609885	–	17100	626985	–	626985

पैंशन व ग्रेच्युटी निधि खाते की बैंक समाधान विवरणी

वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष – 626985

जोगिन्द्रा सैंट्रल को–ओपरेटिव बैंक खाता सं0 100134001003752 में दिनांक 31.03.2023 को शेष जमा राशि – 626985

अन्तशेष में अंतर – शून्य

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

(पैरा संख्या 5.5.1 से सम्बन्धित)

परिशिष्ट "5"

(पैरा संख्या 6.1.1 में सन्दर्भित)

परिशिष्ट "6"

Nagar Panchayat Arki, Distt Solan, Himachal Pradesh

Consolidated Financial Position of Grants in Aid for the year 2022-23

	OPENING BALANCE	RECEIPT	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	₹ 1,69,96,021.00	₹ 2,56,40,478.00	₹ 4,26,36,499.00	₹ 2,65,90,465.00	₹ 1,60,46,034.00

Nagar Panchayat, Arki

77

परिशिष्ट "7"

अनुच्छेद 6.1.3 में सन्दर्भित :->

Nagar Panchayat Arki, Distt Solan, Himachal Pradesh

Consolidated overview of Performance in utilization of Grants -in- Aid received prior to 01-04-2021, during 04/2021 to 03/2022 and 04/2022 to 03/2023

Period	Grants In Aid	Utilization during 2022-23	Un-utilized Balance as on 31-03-2023
Received prior ro 04/2022	₹ 1,69,96,021	₹ 1,26,42,544	₹ 43,53,477
Received during 2022-23	₹ 2,56,40,478	₹ 1,39,47,921	₹ 1,16,92,557
Total		₹ 2,65,90,465	₹ 1,60,46,034

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

Nagar Panchayat Arki, Distt Solan, Himachal Pradesh

Performance of Grants in Aid on Year to Year Basis

Grants received before 04/2022 and utilized during 2022-23

Sr	Head	Opening Balance as on 01-04-2022	Utilization during 2022-23	Closing Balance as on 31-03-2023
1	5th/6th State Finance Commission	₹ 10,65,393.00	₹ 10,65,393.00	₹ 0.00
2	14th/15th Finance Commission/ CFC	₹ 24,42,046.00	₹ 24,42,046.00	₹ 0.00
3	R/M of ULB Path	₹ 16,61,119.00	₹ 16,61,119.00	₹ 0.00
4	Calamity Relief Fund (CRF)	₹ 7,91,849.00	₹ 7,91,849.00	₹ 0.00
5	Vehicle Parking	₹ 60,72,499.00	₹ 19,87,141.00	₹ 40,85,358.00
6	MP LAD	₹ 7,43,119.00	₹ 4,75,000.00	₹ 2,68,119.00
7	NULM	-₹ 19,546.00	-₹ 19,546.00	₹ 0.00
8	SBM	₹ 2,40,207.00	₹ 2,40,207.00	₹ 0.00
9	PMAY	₹ 1,95,823.00	₹ 1,95,823.00	₹ 0.00
10	SWM	₹ 5,94,942.00	₹ 5,94,942.00	₹ 0.00
11	NDRF	₹ 8,50,000.00	₹ 8,50,000.00	₹ 0.00
12	Disaster Management	₹ 1,20,528.00	₹ 1,20,528.00	₹ 0.00
13	DC Solan	₹ 2,91,800.00	₹ 2,91,800.00	₹ 0.00
14	OWC	₹ 19,46,242.00	₹ 19,46,242.00	₹ 0.00
15	Atal Shreshth Shehar Yojna (ASSY)	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
16	Mukhya Mantri Shehari Ajeevika Guarantee Yo	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
	Total	**₹ 1,69,96,021.00**	**₹ 1,26,42,544.00**	**₹ 43,53,477.00**

Grants received and utilized during 2022-23

Sr	Head	Receipt during 2022-23	Utilization during 2022-23	Closing balance as on 31-03-2023
1	5th/6th State Finance Commission	₹ 73,92,385.00	₹ 73,92,385.00	₹ 0.00
2	14th/15th Finance Commission/ CFC	₹ 67,38,848.00	₹ 22,12,037.00	₹ 45,26,811.00
3	R/M of ULB Path	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
4	Calamity Relief Fund (CRF)	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
5	Vehicle Parking	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
6	MP LAD	₹ 4,75,000.00	₹ 0.00	₹ 4,75,000.00
7	NULM	₹ 19,546.00	₹ 19,546.00	₹ 0.00
8	SBM	₹ 3,00,000.00	₹ 3,00,000.00	₹ 0.00
9	PMAY	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
10	SWM	₹ 10,00,000.00	₹ 10,00,000.00	₹ 0.00
11	NDRF	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
12	Disaster Management	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
13	DC Solan	₹ 19,35,699.00	₹ 2,44,953.00	₹ 16,90,746.00
14	OWC	₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
15	Atal Shreshth Shehar Yojna (ASSY)	₹ 75,00,000.00	₹ 25,00,000.00	₹ 50,00,000.00
16	Mukhya Mantri Shehari Ajeevika Guarantee Yo	₹ 2,79,000.00	₹ 2,79,000.00	₹ 0.00
	Total	**₹ 2,56,40,478.00**	**₹ 1,39,47,921.00**	**₹ 1,16,92,557.00**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

Nagar Panchayat Arki, Distt Solan, Himachal Pradesh

Detail of the year when the unspent GIA which was received by MC before 01-04-2022 and is still unspent as on 31-03-2023

Sr	Head	Opening Balance as on 01-04-2022	Unspent balance as on 31-03-2023	Year of receipt of unspent GIA balance as on 31-03-2023
1	Vehicle Parking (Tourism)	₹60,72,499	₹40,85,358	2021-22
2	MP LAD	₹7,43,119	₹2,68,119	2021-22
	Total	**₹68,15,618**	**₹43,53,477**	

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

80

Nagar Panchayat Arki, Distt Solan, Himachal Pradesh

Yearwise details of Grants in Aid received during the period 4/2022 to 3/2023

Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance	UC Letter no. & date
1	5th/6th State Finance Commission	Director UD	Received Payment 7392385/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2022-SFC Awards - 25021-25084 dated 05/08/22.	Salary/wages gap funding, sanitation services, payment of honorarium to elected representatives. Any infrastucture work.	₹ 10,65,393	₹ 73,92,385	₹ 84,57,778	₹ 84,57,778	₹ 0	NPA/UC/6th SFC (2022-23) 867 Dated 26/07/2023 for Amount 7392385/-
2	14th/15th Finance Commission/ CFC	Director UD	Received Payment 1. 1103982/- Recived Online dated 04-04-2022 at CBP 49,2. 1655973/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC-Release -28040-28109 Dated 31/08/22,3. 1103982/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC-Release - 28110-28179 Dated 31/08/22,4. 5154/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC-Release -43197-258 Dated 01/11/22,5. 3651/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC-Release -42259-42320 Dated 01/11/22,6. 1146442/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC-Release - 60560-622 Dated 02/03/23,7. 1719664/- vide letter no. UD-H(c)(10)-1/2020-I-CFC-Release -60623-085 Dated 02/03/23	Urban planing inculuding town planing, meet expenditure of maintenance of sanitation in the town,Fire services,Planning for economic and social development	₹ 24,42,046	₹ 67,38,848	₹ 91,80,894	₹ 46,54,083	₹ 45,26,811	NPA/UC/6th SFC (2022-23) 866 Dated 26/07/2023 for Amount 3978893/- (1146442+1103982+1719664+5154+3651)
3	R/M of ULB Path	Director UD	'-None-	Maintenance of ULB roads, completion of incomplete infrastusctural schemes etc.	₹ 16,61,119	₹ 0	₹ 16,61,119	₹ 16,61,119	₹ 0	
4	Calamity Relief Fund (CRF)	Director UD	'-None-		₹ 7,91,849	₹ 0	₹ 7,91,849	₹ 7,91,849	₹ 0	
5	Vehicle Parking	Director UD	'-None-		₹ 60,72,499	₹ 0	₹ 60,72,499	₹ 19,87,141	₹ 40,85,358	

-83- 81

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance	UC Letter no. & date
6	MP LAD	DC Solan	Received Payment 1. 25000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-21/2022-VKVNY-Arki-477-479 Dated 30/06/22, 2.350000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-21/2021-VKVNY-Arki-474-76 Dated 30/06/22,3.100000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-1/2022-VKVNY-Arki-714-15 Dated 10/08/22	Repair & Maintenance of ULB roads, paths and other development projects	₹ 7,43,119	₹ 4,75,000	₹ 12,18,119	₹ 4,75,000	₹ 7,43,119	
7	NULM	Director UD	`-None-		-₹ 19,546	₹ 19,546	₹ 0	₹ 0	₹ 0	
8	SBM	Director UD	ReceivedOnline PaymentDated 13-5-2022 at CBP 61 Amount 300000/-	Repair & Maintenance of ULB roads and paths	₹ 2,40,207	₹ 3,00,000	₹ 5,40,207	₹ 5,40,207	₹ 0	
9	PMAY	Director UD	`-None-		₹ 1,95,823	₹ 0	₹ 1,95,823	₹ 1,95,823	₹ 0	
10	SWM	Director UD	ReceivedOnline PaymentDated 29-04-2022 at CBP 53 Amount 1000000/-		₹ 5,94,942	₹ 10,00,000	₹ 15,94,942	₹ 15,94,942	₹ 0	
11	NDRF	Director UD	`-None-		₹ 8,50,000	₹ 0	₹ 8,50,000	₹ 8,50,000	₹ 0	
12	Disaster Management	Director UD	`-None-		₹ 1,20,528	₹ 0	₹ 1,20,528	₹ 1,20,528	₹ 0	
13	DC Solan	DC Solan	Received Payment 1. 1406899/- vide letter no. Udyog/SLN/MM/DMFT/2016-631 Dated 02/07/22, 2.200000/- vide letter no. PLG-SLN(F)5-21-SDP-2022-23-217 Dated 26/05/22,3.328800/- vide letter no. MA/1-895/2002(Budt.Statement-Sanc.order)/2121-1367- Dated 10/03/23	Repair & Maintenance of ULB roads, paths and other development projects	₹ 2,91,800	₹ 19,35,699	₹ 22,27,499	₹ 5,36,753	₹ 16,90,746	
14	OWC	Director UD	`-None-	Installation & Commissioning OWC Machine	₹ 19,46,242	₹ 0	₹ 19,46,242	₹ 19,46,242	₹ 0	
15	Atal Shreshth Shehar Yojna (ASSY)	Director UD	ReceivedOnline Payment dated 07-09-2022 at CBP 97 7500000/-	Swachh Survekshan,Public Service Delivery, Increase the Income,Fund Utilisation ,Public Infrastructure, Audit Para settlement and audited account	₹ 0	₹ 75,00,000	₹ 75,00,000	₹ 25,00,000	₹ 50,00,000	

-84- 82

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance	UC Letter no. & date
16	Mukhya Mantri Shehari Ajeevika Guarantee Yojna (MMSAGY)	Director UD	1. ReceivedOnline Payment dated 21-09-2022 at CBP 100 Amount 26950/- ,2.ReceivedOnline Payment dated 18-10-2022 at CBP 105 Amount 203750/- ,3.ReceivedOnline Payment dated 15-12-2022 at CBP 117 Amount 48300/-	Rain water harvosting structure ,Repair & maintenance of water sources, Sanitation work of Municipallty,Beautigication of public places,Mainenance of Municipal Roads	₹ 0	₹ 2,79,000	₹ 2,79,000	₹ 2,79,000	₹ 0	
			Grand Total For the year 2022-23		₹ 1,69,96,021	₹ 2,56,40,478	₹ 4,26,36,499	₹ 2,65,90,465	₹ 1,60,46,034	

Secretary
Nagar Panchayat

85 83

(पैरा संख्या 6.2.1 में सम्बंधित)

परिशिष्ट

Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP

Financial Position of NULM Fund (SNA Account) for the year 2022-23

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	Closing Balance (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	0	50000	0	50000	50000	50000	0

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

84

नगर पंचायत अर्की जिला सोलन हि0प्र0

दीनदयाल अन्तोदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निधिः– नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की दीनदयाल अन्तोदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निधि लेखाओं की वितीय स्थिति निम्नलिखित हैः–

वितीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आय	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अंतशेष
2022–23	0	50000	0	50000	50000	0

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निधि खाते की बैंक समाधान विवरणी

वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष – 0

इंडियन बैंक खाता सं0 7156675839 में दिनांक 31.03.2023 को शेष जमा राशि – 0

अन्तशेष में अंतर – शून्य

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

-87- 85

(पैरा संख्या 6.2.2 में सन्दर्भित :-) "परिशिष्ट" 9

Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP

Financial Position of SBM Fund (SNA Account) for the year 2022-23

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	Closing Balance (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	0	1239218	0	1239218	1239218	1239218	0

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

नगर पंचायत अर्की जिला सोलन हि0प्र0

स्वच्छ भारत मिशन निधिः– नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की स्वच्छ भारत मिशन निधि लेखाओं की वितीय स्थिति निम्नलिखित हैः–

वितीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आय	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अंतशेष
2022–23	0	1239218	0	1239218	1239218	0

स्वच्छ भारत मिशन निधि खाते की बैंक समाधान विवरणी

वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष – 0

एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक खाता सं0 50100475388311 में दिनांक 31.03.2023 को शेष जमा राशि – 0

अन्तशेष में अंतर – शून्य

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

87

C पैरा संख्या 6.2.3 में सन्दर्भित :7

परिशिष्ट "10

Nagar Panchayat Arki Distt Solan HP

Financial Position of PMAY Fund (SNA Account) for the year 2022-23

Year	Opening Balance	Income	Interest	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	Closing Balance (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23	0	965000	0	965000	965000	965000	0

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

88

<u>नगर पंचायत अर्की जिला सोलन हि0प्र0</u>

प्रधानमंत्री आवास योजना निधि:– नगर पंचायत अर्की के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की प्रधानमंत्री आवास योजना निधि लेखाओं की वितीय स्थिति निम्नलिखित है:–

वितीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान आय	ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान भुगतान	अंतशेष
2022–23	0	965000	0	965000	965000	0

प्रधानमंत्री आवास योजना निधि खाते की बैंक समाधान विवरणी

वितीय स्थिति के अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष – **0**

यूको बैंक खाता सं0 03920110113097 में दिनांक 31.03.2023 को शेष जमा राशि – **0**

अन्तशेष में अंतर – शून्य

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

89

पैरा संख्या
पैराग्राफ "10"

C पैरा संख्या 10.1.1 में सन्दर्भित :>

परिशिष्ट "6.1.1"

No.NPA/Audit/2023- 1392
Office of the Nagar Panchayat Arki
District Solan , Himachal Pradesh.

Dated:Arki 16/12/2023

To

The Assistant Controller(Audit)
State Audit Department
Himachal Pradesh.

Subject:- **Statement of outstanding Amount Balance of Property Tax as on 31.3.2023.**

Sir,

On the subject cited above ,it is intimated that the following information office of the Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (HP) statement of outstanding amount balance of Property Tax as on 31.3.2023.

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Closing Balance
2022-23	4050381	1972924	6023305	1934066	4089239

Yours faithfully,

Secretary,
Nagar Panchayat Arki

-92- 90

परिशिष्ट "11.2"

(पैरा संख्या 10.1.1 में सन्दर्भित :)

List of Property Tax Tehsildar Recovery Solan from 1/9/1997 To 31/3/2008 Updated upto 31/3/2023						
Sr. No.	Name	Father/Husband Name	Ward No.	Total Demand	Diposit	Balance
1	Sh. Daya Ram	Sh. Gosaun Ram	1	3833	0	3833
2	Sh. Jeet Ram	Sh. Mast Ram	1	8505	0	8505
3	Sh. Shiv Ram	Sh. Ghanu Ram	1	6930	3000	3930
4	Sh. Kameshwar Sharma	Sh. Paras Ram	1	1733	0	1733
5	Sh. Geeta Ram		1	8505	0	8505
6	Sh. Nathu Ram	Sh. Chhangu Ram	1	6405	0	6405
7	Sh. Jagdish Chand	Sh. Chet Ram	1	3833	0	3833
8	Sh. Baldev Gupta	Sh. Shiv Lal	1	17010	0	17010
9	Sh. Dina Nath	Sh. Jaybalav	1	8505	0	8505
10	Sh, Jay Ram	Sh. Dhundar	1	1838	0	1838
11	Smt. Paravati Devi	Sh. Pyare Lal	1	9975	1000	8975
12	Sh. Babu Ram	Sh. Dhundar	1	420	0	420
13	Sh. Rajeshwar Singh	Sh. R.N. Singh	1	6300	0	6300
12	Smt. Paravati Devi	Sh. Pyare Lal	1	1733	0	1733
14	Smt. Paravati Devi	Sh. Pyare Lal	1	14490	1000	13490
15	Sh. Upender Gupta	Sh. Mathura Dass	1	11918	0	11918
16	Sh. Lalit Kumar	Sh. Jivan Singh	1	11918	0	11918
17	Sh. Prakash Chand	C/o Kamal Trador	1	17010	0	17010
18	Sh. Dharam, Pal	Sh. Kedaru Ram	1	21893	1093	20800
19	Sh. Mathura Dass	Sh. Devi Dass	1	630	0	630
20	Sh. Sohan Lal	Sh. Hiru Ram	1	12758	0	12758
21	Sh. Shankar Lal	Sh. Paras Ram	1	22575	0	22575
22	Sh. Krishan Chand		1	21683	0	21683
22	Sh. Devi Roop	Sh. Tulsi Ram	2	6405	0	6405
23	Sh. Sant Ram	Sh. Narayanu	2	3413	0	3413
24	Sh. Vidya Devi	Sh. Shiv Lal	2	8505	0	8505
25	Sh. Mehar Chand	Sh. Durga Dutt	2	20430	0	20430
26	Smt. Krishna Devi	Sh. Vidhi Chand	2	17010	0	17010
28	Sh. Hari Ram Verma	Sh. Dhani Ram	2	7665	0	7665
29	Smt. Kamla	Sh. Nek Ram	2	21263	0	21263
30	Smt. Jayvanti	Sh. Bali Ram	2	9450	0	9450
31	sh.Rajinder & NandLal	Sh. Chandu Ram&Shiv Ram	2	29778	26325	3453
32	Sh. Prem Singh	Sh. Devi Ram	2	13650	7000	6650
33	Sh. Khajana Ram	Sh. Khyali Ram	2	2205	0	2205
34	Sh. Lala Ram	Sh. Dhanu Ram	2	4253	0	4253
35	Sh. Sant Ram	Sh. Daulat Ram	2	8505	4000	4505
36	Sh. Sukh Dev	Sh. Abhi Ram	2	8820	0	8820
37	Sh. Nand Lal	Sh. Het Ram	2	8820	0	8820
38	Sh. Ram Lal	Sh. Kanhayiya Ram	3	23835	0	23835
39	Smt. Satya Devi	Sh. Med Ram	3	11078	0	11078
40	Sh. Jafer Ali	Sh.Amir Ali	3	24255	2000	22255
41	Smt. Rajni Kanta	Sh. Saligram	3	1733	0	1733
42	Dr. Sant Lal	Sh. Paras Ram	3	2228	0	2228
43	Sh. Mehar Chand	Sh. Sohuu	3	1733	0	1733
44	Sh. Bali Ram Gautam	Sh. Ram Baksh	3	1733	0	1733
45	Smt. Vinay Gautam	Sh. P.D. Sharma	3	6825	0	6825

49	Sh. Kulbhushan	Sh. Phillu	4	1625	0	1625
50	Sh. Rahim Baksh	Sh. Budhia	4	5250	0	5250
51	Sh. Gyan Chand	Sh. Hari Ram	4	5250	3750	1500
52	Sh. Mast Ram	Sh. Bidumal	4	3045	0	3045
53	Sh. Om Prakash	Sh. Bhagat Ram	4	5145	0	5145
54	Krishna CO-OP		4	22155	14555	7600
55	Sh. Brij Bhushan	Sh. Bhagat Ram	4	12758	4500	8258
56	Sh. Prem Chand	Sh. Bhagat Ram	4	8505	0	8505
57	Sh. Prakash Chand	Sh. Chet Ram	4	18743	0	18743
58	Sh. Mukand Balav	Sh. Durga Dass	4	11498	11000	498
59	Sh. Mahender Prakash	Sh. Basant Lal	4	7665	2000	5665
60	Smt. Raj Kumari	Sh. Pritam Chadda	4	4253	0	4253
61	Sh. Damodar	Sh. Dhania	4	5513	3676	1837
62	Mehar Chand	Mansa Ram	4	12758	10758	2000
63	Sh. Bishan Lal	Sh. Balak Ram	4	9345	1345	8000
64	Sh. Gopal Chand	Sh. Badri Dutt	5	1050	0	1050
65	Sh. Kulraj Kishor	Sh. Govind Ram	5	12758	4500	8258
66	Sh. Bhuvneshwar	Sh. Sohan Lal	5	5145	0	5145
67	Sh. Kishori Lal	Sh. Budhi Ram	5	3833	0	3833
68	Sh. Ranvir Gupta	Sh. Madhusudan	5	6825	0	6825
69	Kumari Narvada Gupta	Sh. Hem Chand	5	4253	0	4253
70	Sh. Anwar Ali	Sh. Madan Baksh	5	2100	0	2100
71	Sh. Ram Krishan	Sh. Hem Chand	5	5145	1000	4145
72	Sh. Rajesh Gupta	Sh. Bhagat Ram	5	6825	0	6825
73	Sh. Harish Chand	Sh. Paras Ram	5	2625	0	2625
74	Sh. Hari Ram Vyas	Sh. Mathura Dass	5	2835	0	2835
75	Smt. Kaushlya	Sh. Roop Lal	6	1733	0	1733
76	Sh. Ramesh Gupta	Sh. Ganga Ram	6	2153	1000	1153
77	Smt. Kamla	Sh. Parmanand	6	2625	500	2125
78	Sh. Hari Om	Sh. Bangu Mal	6	1050	0	1050
79	Sh. Ravinder Kanwar	Sh. Prem Lal	6	4253	0	4253
80	Sh. Mahender Gupta	Sh. Bali Ram	6	4253	0	4253
81	Smt. Mansi Devi	Babu Ram	6	1995	1696	299
82	Sh. Mahender Prakash	Sh. Basant Lal	6	55808	43000	12808
83	Sh. Ram Chand	Sh. Hem Chand	6	200550	48000	152550
84	Sh. Kulbhushan	Sh. Fillu Ram	6	1470	0	1470
85	Smt. Amra Shamra	Sh. Nikdu Ram	6	1733	0	1733
86	Sh. Ashok Soni	Sh. Hari Chand	7	8085	5000	3085
87	Sh. Harish Chand	Sh. Nathu Mal	7	9398	0	9398
88	Sh. Ram Lal	Sh. Sunder Lal	7	12968	100	12868
89	Sh.Bhagat Ram	Sh.Durga Singh	7	19163	5163	14000
90	Sh. Narpat Ram	Sh. Jadu Ram	7	630	0	630
91	Smt. Veena Bansal	Sh. Hukum Singh	7	11498	0	11498
92	Sh. Pritam Chadda	Sh. Amar Nath	7	10238	0	10238
93	Sh. Rajender Gupta	Sh. Hukum Chand	7	2100	0	2100
94	Sh. Jiya Lal	Sh. Balak Ram	7	578	0	578
95	Sh. Sattpal		7	2924	0	2924
	Total:-			1055557	225831	829726

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

(पैरा संख्या 10.1.1 में सन्दर्भित ->

परिशिष्ट "113"

List of House Tax Tehsildar Recovery Solan from 1/4/2008 To 31/3/2018 Updated Upto 31/3/2023						
ALR 4/2008 To 3/2018						
Sr. No.	Name	Father/Husband Name	Ward No.	Total Demand	Diposit	Balance
1	Sh. Sudama Ram	Sh. Chaudhari Ram	1	8910	6000	2910
2	Sh. Khem Chand	Sh. Devi Ram	1	7810	0	7810
3	Sh. Subhash Chand	Sh. Jivnu Ram	1	7425	1000	6425
4	Smt. Parvati Devi	Sh. Pyare Lal	1	23100	2000	21100
5	Sh. Amar Nath Sharma	Sh. Ram Lal	1	31185	0	31185
6	Smt. Salochana	Sh. Krishan Chand	1	34474	0	34474
7	Kanwar Nagender Singh	Raja Rajender Singh	1	39218	27073	12145
9	Sh. Nand Lal Verma	Sh. Navlesh	2	1337	0	1337
10	Smt. Vimla Devi	Sh. Khajana Ram	2	2156	0	2156
11	Sh. Chetram Chauhan	Sh. Gorkhu Ram	3	13365	5000	8365
12	Sh. Mahender Gupta	Sh. Basant Lal	4	14707	0	14707
13	Sh. Naresh Kumar Sood	Sh. Amar Chand	4	1403	0	1403
14	Sh. Mahender Gupta	Sh. Basant Lal	4	13959	0	13959
15	Sh. Anil Khan	Sh. Rahim Baksh	4	7128	0	7128
16	Sh. Sanjay Gupta	Sh. Mast Ram	4	5346	0	5346
17	Sh. Arun Sharma	Sh. Anand Prakash	4	1782	0	1782
18	Smt. Amri Devi	Sh. Ram Ji Dass	4	1337	0	1337
19	Sh. Sunil Kumar Bhardwaj	Sh. Dhani Ram	5	535	0	535
20	Sh. Ram Chand Gupta	Sh. Hem Chand Gupta	6	276485	0	276485
21	Sh. Mahender Gupta	Sh. Basant Lal	6	54698	0	54698
22	Sh. Sunil Kumar Bhardwaj	Sh. Dhani Ram	6	4544	0	4544
23	Sh. Madho Ram	Sh. Geeta Ram	7	1337	0	1337
24	Sh. Dev Raj Pathak	Sh. Mehar Chand	7	19718	0	19718
25	Sh. Sant Ram	Sh. Shiv Lal	7	3355	0	3355
26	Sh. Mohan Lal Sharma	Sh. Kanshi Ram	7	14236	5000	9236
27	Sh. Ram Lal Sharma	Sh. Sunder Ram	7	3253	0	3253
28	Sh. Saleem Mohamad	Sh. Rahim Baksh	7	4092	0	4092
29	Sh. Krishan Chand	Sh. Brij Lal	7	21384	0	21384
	Total			618279	46073	572206

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

परिशिष्ट "12"

पैरा 10.1.3 में सन्दर्भित :-

नगर पंचायत अर्की

नगर पंचायत सीमा क्षेत्र में स्थित होटलों व रैस्ट हाउसों से निर्धारित गृहकर का दिनांक 31.3.2023 तक का विवरणः—

सम्पति का विवरण व पता	व्यवसायिक दर से अधिरोपित वार्षिक गृहकर	दिनांक 1.4. 2022 को बकाया गृहकर	वर्ष 2022—23 के लिए अधिरोपित गृहकर	कुल योग	वर्ष 2022—23 में वसूली	दिनांक 31.3. 2023 तक शेष गृहकर ब्याज सहित
होटल पलैस ब्यू	12%	1,12,500/—	37,500/—	1,50,000/—	शून्य	1,59,000/—
रैस्ट हाउस पी0डब्ल्यु0डी0	12%	शून्य	2787/—	2787/—	2508/—	शून्य

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

परिशिष्ट 13

पैरा संख्या 10.2.1 में सन्दर्भित

No.NPA/Audit/2023- 1393
Office of the Nagar Panchayat Arki
District Solan , Himachal Pradesh.

Dated:Arki 16/12/2023

To

The Assistant Controller(Audit)
State Audit Department
Himachal Pradesh.

Subject:- **Statement of outstanding Amount Balance of Shop Rent as on 31.3.2023.**

Sir,

On the subject cited above ,it is intimated that during the last audit for the period 04/19 to 03/22 this office submitted an erroneous statement of shops rent of the Nagar Panchayat Arki resulting in an excess difference of Rs.1,89,086. It was drafted by audit as a Para at Sr No.9 in its report for the said period. Now this error has been rectified and revised statement of shop Rent w.e.f.01.4.2019 to 31.3.2023 is submitted in the table below for information and necessary action .

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Closing Balance
2019-20	316795	342834	659629	340023	319606
2020-21	319606	342834	662440	426941	235499
2021-22	235499	393166	628665	573065	55600
2022-23	55600	722668	778268	589831	188437

Yours faithfully,

Secretary,
Nagar Panchayat Arki

परिशिष्ट "15"

(पैरा संख्या 10.2.3 में सन्दर्भित)

Statement of GST Amount Collected form ShopKepper for the Period 4/2022 to 03/23					
Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (HP).					
Sr.No.	Shop No.	Name of Occupire	Monthly Rent	GST Value	GST Amount Collected from Shopkepper
1	1	Ishwar Singh	1000	180	2160
2	2	Dinesh Kumar	3000	540	6480
4	4	Kuldeep	1600	288	3456
5	5	Virender Kumar	500	90	1080
6	6	Abhi Ram	563	101	1212
7	7	Bhupender Kanwar	733	132	1584
8	8	Akshansh/Jyoti	850	153	1836
9	9	Bhupender Kanwar	370	67	804
10	10	Rajesh Verma	224	40	Nil
11	11	Kuldeep Chand	1905	343	4116
12	12	Bali Ram	0	0	0
13	13	Bhupender Jutta	440	79	948
16	16	Med Ram	503	91	1092
17	17	Madan Lal	866	156	1872
18	18/1	Amer Dev	1500	270	3240
19	19/2	Sh. Devraj	1000	180	2160
20	20/3	Sant Ram	424	76	912
21	21/4	Tek Chand	1610	290	3480
22	22/5	Dheram Pal	436	78	936
23	23/6	Bohru Devi	424	76	912
24	24/7	Vijay Singh	436	78	936
25	25/8	Narender Kumar	908	163	1956
26	26/9	Jai Dai	484	87	1044
27	27/10	Jagat Ram	424	76	912
28	28/11	Rajinder Kumar	424	76	912
29	29/12	Sunita Bhartti	424	76	912
30	30/13	Sunita Devi	424	76	912
31	31/14	Khemraj	424	76	912
32	32/15	Daya Nand	500	90	1080
33	33/16	Anish Bhattia	500	90	1080
34	34/17	Dhani Ram	424	76	912
35	35/18	Hari Ram	424	76	912
36	36/19	Rachna Devi	424	76	912
37	37/20	Ram Chand	424	76	912
38	38/21	Devki Devi	424	76	912
39	39/22	Kuldeep Singh	850	153	1836
40	40/23	Krishni Devi	424	76	912
41	41/24	Chet Ram	424	76	912
42	42	Manoj Kumar	641	115	1380
43	43	Promila Devi	968	174	2088
44	44	Bhupender Singh	629	113	1356

47	48	Manveer Singh	805	145	1740
48	49	Harish Kaushal	242	44	528
49	50	Narender Kumar	436	78	936
50	51	Karuna Devi	1150	207	2484
51	52	Gorkhla Ram	1101	198	2376
52	53	Joginder Singh	411	74	888
53	54	Deepak Kumar	968	174	2088
54	55	Rajesh Verma	1318	237	0
55	56	Babu Ram	799	144	1728
56	57	Prithavi Singh	532	96	1152
57	58	Amar Chand	84	15	180
58	59	Babu Ram	84	15	180
59	60	Jai Dev	84	15	180
60	61	Sarita Kumari	500	90	1080
61	63	Tek Chand	84	15	180
62	64	Babu Ram	133	24	288
		Total			81216

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

परिशिष्ट "15"

पैरा संख्या 10.2.6 से सन्दर्भित

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हि०प्र०

अवधि 04/2017 से 03/2023 तक दुकानों के किराए में बढ़ौतरी न करने के कारण रु0 13467 की हानि का विवरणः–

क्र0 सं0	स्टाल नं0	नाम	मासिक किराया	5 वर्ष उपरांत जिस तिथि से किराये बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी	जिस तिथि से किराया बढ़ाया गया	जिस अवधि का किराया नहीं बढ़ाया गया	किराये में बढ़ौतरी न करने से कम वसूली गई राशि
1	3	गीता देवी	143	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 X 13=195
2	10	राजेश	204	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 X 19=285
3	15	मनीराम	72	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 X 7=105
4	28/11	राजेन्द्र	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 X 35=525
5	35/18	हरीराम	385	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15 X 35=525
6	43	प्रोमिला	880	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	15X 80=1200
7	52	गोरखिया	1001	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से 30.6.18	91X 15=1365
8	55	राजेश	1198	1.4.17	1.7.18	1.4.17 से	109X15=1635

						30.6.18	
9	2	लायक राम	250	1.4.17	–	1.4.17 से 31.7.21	25X52=1300
10	12	बली राम	360	1.4.14	–	1.4.14 से 31.7.21	36X60=2160 76X36=2736 =4896
	कुल योगः–						12031

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

परिशिष्ट "16"

(पैरा संख्या 10.3 में सन्दर्भित :->

Nagar Panchayat Arki, Distt. Solan H.P.							
Statement of installation/renewal fee due, realized and outstanding in r/o mobile towers during the years 2022-23							
Sr. No.	Name of Mobile Company	Year/date of installaltion of tower	Opening Balance	Demand due for the year	Total demand raised	Demand realized during the year	Closing
1	Airtel	2006-07	37500	12500	50000	0	50000

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

100

परिशिष्ट "17"

(पैरा संख्या 10.4 में सन्दर्भित)

NAGAR PANCHAYAT ARKI, DISTT. SOLAN H.P.

Statement of Outstanding Amount of Door to Door Collection Charges as on 31.03.2023

Year	Opening Balance	Demand	Total Demand	Collection	Closing Balance
2022-23	401436	843822	1245258	720306	524952

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

पैरा 11.1 में सन्दर्भित -> -16-

Tentative retrospective pay fixation in r/o Sh Ram Karan, Junior Assistant in compliance to the orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP 4474/2020 and further orders of the Director Urban Development Himachal Pradesh vide office order no. UD-H(E)-3/2021-9574 dated 12-06-2023 in the pay scale of ₹3120-5160 w.e.f. 21-12-2002

Sr	Particulars			Sh Ram Karan	
1.	Name of the official			Clerk/Junior Assistant	
2.	Post on which he is regularized retrospectively w.e.f.			21-12-2002	
3.	Date of retrospective regularization			₹3120-5160 (With Intial start of ₹3220)	
4.	Scale to which services regularized retrospectively.			₹3220	
5.	The pay is fixed on minimum of the pay scale w.e.f. 21-12-2002			₹3330	
6.	Annual increment w.e.f. 01-12-2003			₹3330 + ₹1665	
7.	Grant of Dearness Pay w.e.f. 01-04-2004 @ 50% of BP			₹3440 + ₹1720	
8.	Annual increment w.e.f. 01-12-2004			₹3550 + ₹1775	
9.	Annual increment w.e.f. 01-12-2005			₹8510 (₹6610+1900)	
10.	Pay re-fixed in compliance to pay revision w.e.f. 01-01-2006 in the pay band of ₹5910-20200 + 1900 (Grade Pay) w.r.t Fitment Table No. 4			01-12-2006	
11.	Date of next increment				
12.	Pay re-fixed after grant of Annual Increment @3% in the revised pay scale:	Increment @ 3% (₹)	Pay in the pay band after increment (₹)	Grade Pay (₹)	Basic pay after increment (₹)
13.	As on 01-12-2006	260	6870	1900	8770
14.	As on 01-12-2007	270	7140	1900	9040
15.	As on 01-12-2008	280	7420	1900	9320
16.	As on 01-12-2009	280	7700	1900	9600
17.	01-09-2010 (Placed as Junior Assistant in the Pay Band of ₹5910-20200 + 2800 Grade Pay vide Secretary, Nagar Panchayat Arki Office Order No. -------------- Dated ------------- on the recommendations of DPC held on dated ------------------ w.e.f. 01-09-2010)		7700	2800	10500
18.	Date of Next increment: 01-12-2010				
19.	As on 01-12-2010	320	8020	2800	10820
20.	As on 01-12-2011	330	8350	2800	11150
21.	Granted benefit of ACPS (4,9,14) vide Secretary, Nagar Panchayat Arki Office Order No. ------------- Dated ------------ on the recommendations of DPC held on dated ------------------ w.e.f. 27-08-2009 on completion of 4 years of service.				
22.	Date of completion of 4 years of service				21-12-2006
23.	The pay drawn on 26-08-2009				₹9320 (7420+1900)

नग- 102

24.	Pay refixed after grant of one increment @ 3% and higher grade pay of ₹1950 in the Pay Band of ₹5910-20200 w.e.f. 27-08-2009 on notional basis and 09-08-2012 actual basis:				₹9650 (7700+1950)
25.	Date of next increment:				01-12-2009
26.	Pay re-fixed after grant of Annual Increment @3% in the revised pay scale:	Increment @ 3% (₹)	Pay in the pay band after increment (₹)	Grade Pay (₹)	Basic pay after increment (₹)
27.	As on 01-12-2009 (Notional)	290	7990	1950	9940
28.	As on 01-09-2010 (Placement as Junior Assistant in in the Pay Band of ₹5910-20200 + 2800 Grade Pay)		7990	2800	10790
29.	Date of Next increment: 01-12-2010				
30.	As on 01-12-2010 (Notional)	330	8320	2800	11120
31.	As on 01-12-2011 (Notional)	340	8660	2800	11460
32.	Granted higher pay band and grade of ₹10300-34800 +3600 in consonance with the provisions of Pay Re-Revision w.e.f. 01-10-2012 and placed at minimum of the pay band i.e. ₹13900 (10300+3600)				
33.	As on 01-10-2012		10300	3600	13900
34.	Date of next increment:				01-10-2013
35.	Pay re-fixed after grant of Annual Increment @3% in the revised pay scale:	Increment @ 3% (₹)	Pay in the pay band after increment (₹)	Grade Pay (₹)	Basic pay after increment (₹)
36.	As on 01-10-2013	420	10720	3600	14320
37.	As on 01-10-2014	430	11150	3600	14750
38.	As on 01-10-2015	450	11600	3600	15200
39.	As on 01-10-2016	460	12060	3600	15660
40.	As on 01-10-2017	470	12530	3600	16130
41.	As on 01-10-2018	490	13020	3600	16620
42.	As on 01-10-2019	500	13520	3600	17120
43.	As on 01-10-2020	520	14040	3600	17640
44.	As on 01-10-2021	530	14570	3600	18170
45.	In pursuance of The Department of Finance, Himachal Pradesh office order No. Fin-(PR)B(7)-1/2021 dated 3rd January, 2022 pay as Himachal Pradesh Civil Services (Revised pay) Rules, 2022 and further adopted by the Director Urban Development HP vide letter No. UD-H(B)-(7)-11/87-VII-40597-40959 Dated 14-10-2022 the pay of Sh. Ram Karan, Junior Assistant is hereby fixed as under:-				
46.	Date of Joining				21-12-2002
47.	Pay Band of the post of Clerk/Junior Assistant as per HPSC (RP) Rules, 2009				PB-2 (5910-20200)
48.	Grade Pay as per HPSC (RP) Rules, 2009				₹1900 revised to 1950 after ACPS

					And ₹2800 on placement as Junior Assistant
49.	Pay Band of the post of Junior Assistant as per HPSC (RP) Rules, 2012				PB-3 (10300-34800)
50.	Grade Pay as per HPSC (RP) Rules, 2012				3600
51.	Pay Re-Fixation factor opted of pay under HPSC (RP) Rules, 2022				15%
52.	Fixation of pay under HPSC (RP) Rules, 2022				
53.	Level corresponding to 2800 Grade Pay as per HPCS (RP) Rules, 2022.				Level-7
54.	Pay drawn as on 31-12-2015				₹15200
55.	Add: DA @ 113%				₹17176
56.	Total:				₹32376
57.	Add: Additional 15% of the total above:				₹4856
58.	Net total:				₹37232
59.	Pay revised & fixed as on 01.01.2016 at level corresponding to Rs 2800 grade pay in the pay matrix i.e. level 7 as per Rule 7 (i) (b) (ii) pay matrix cell next higher to ₹37232 which is cell -10 = ₹37700				Remarks
60.	Date of next increment				01-10-2016
61.	Pay as on	01.01.2016	Cell- 10	₹37700	Fixation on revision
62.	Pay as on	01.10.2016	Cell- 11	₹38800	Annual Increment
63.	Pay as on	01.10.2017	Cell- 12	₹40000	Annual Increment
64.	Pay as on	01.10.2018	Cell- 13	₹41200	Annual Increment
65.	Pay as on	01.10.2019	Cell-14	₹42400	Annual Increment
66.	Pay as on	01.10.2020	Cell-15	₹43700	Annual Increment
67.	Pay as on	01.10.2021	Cell- 16	₹45000	Annual Increment
68.	Pay as on	01.10.2022	Cell- 17	₹46400	Annual Increment
69.	Pay as on	01.10.2023	Cell- 18	₹47800	Annual Increment
70.	Next date of increment			01.10.2024	

AC (Audit)
HP SAD
Shimla-9.

No: NPA/Establishment-2023- 974-75

Office of Nagar Panchayat, Arki,Distt. Solan , Himachal Pradesh

Dated: Arki, the 25 August, 2023

Office Order

In Compliance of Order passed by Hon'ble High Court ,H.P in CWP No.4474 of 2020- Ram Karan Verma v/s State of HP & others and further Order NO. UD-H(E)(3)-3/2021-9574-77 dated 12th June, 2023 and the recommendation of the Nagar Panchayat, Arki in its ordinary meeting held on dated 19th August,2023 under Resolution No. 497. The pay fixation of Sh. Ram Karan Verma Jr. Assistant w.e.f 21.12.2002 is given below as under :-

In the Pay Scale of Rs. 3120-6200 with initial start of Rs. 3220.00)		
	Pay Scale	
Date	3220	
21.12.2002	3330	
1.12.2003	3330+1665	
April 2004 (April, 2004 D.P 50%)	3440+1720	
1.12.2004	3550+1775	
1.12.2005		
Revision of Pay Scale w.e.f 1.1.2006 Vide Notification No. FIN(C)-B(7)-2/2006 dated 26th August, 2009		
	6610+1900	
1.1.2006	6870+1900	
1.12.2006	7140+1900	
1.12.2007	7140+2800	
Placement as Junior Assistant on 21.12.2007	7440+2800	
1.12.2008	7750+2800	
1.12.2009	8070+2800	
1.12.2010	8400+2800	
1.12.2011	10300+3600	
1.10.2012 (Revised Grade Pay)	10720+3600	
1.12.2012	11150+3600	
1.12.2013	11600+3600	
1.12.2014	12060+3600	
1.12.2015	39200	option 15%
Revision of Pay Scale w.e.f 1.1.2016 (Cell-10)	40400	
1.12.2016	41600	
1.12.2017	42800	
1.12.2018	44100	
1.12.2019	45400	
1.12.2020	46800	
1.12.2021	48200	
1.12.2022		

This pay fixation is erroneous

Secretary,
Nagar Panchayat,
Arki (H.P)

Paid on 20/9/2023 -24-

Paid on 20-09-2023

Detail of arrear after re-fixation of Sh. Ram Karan Verma , Junior Assistant vide Director, Urban Development, H.P Order No. UD-H(E)(3)-3/2021-9573 dated 12th June, 2023 and approved vide Resolution No. 467 Dated 19th August, 2023										
Name of Employee	As on	Period	Basic Pay before Court order	D.A drawn	Basic Pay after Court order	DA due	Difference	Difference of Basic Pay	Number of months	Total amount payable
Ram Karan Verma	1.1.2022	1.1.2022 to 30.9.2022	45000	15300	46800	15912	612	1800	9	21708
	1.10.2022	1.10.2022 to 1.11.2022	46400	15776	46800	15912	136	400	2	1072
	1.12.2022	1.12.2022 to 31.7.2023	46400	15776	48200	16388	612	1800	8	19296
								Net payable		42076

Secretary,
Nagar Panchayat

106

परिशिष्ट "20"

पैरा 12 में सन्दर्भित ->

No.NPA/Audit/2023-1391
Office of the Nagar Panchayat Arki
District Solan , Himachal Pradesh.

Dated:Arki 16/12/2023

To

The Assistant Controller(Audit)
State Audit Department
Himachal Pradesh.

Subject:- **Statement of contingency Advance as on 31.3.2023.**

Sir,

On the subject cited above ,it is intimated that the statement of contingency advance of the Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (HP) as on 31.3.2023 is Nil.

Yours faithfully,

Secretary,
Nagar Panchayat Arki

परिशिष्ट "21"

C पैरा संख्या 13 में सन्दर्भित

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (HP)
Statement of GPF Bank account Balances as on 31.3.2023.

Sr. No.	Employees Name		Designation	Account No.	Balance as on 31-3-2023
1	Vidya Devi	GPF	Clerk	100134001000124	711647
2	Neem Chand	GPF	Beldar	100134001006242	356818
3	Mast Ram	GPF	Beldar	100134001001899	519571
4	Ratti Ram	GPF	Beldar	100134001000991	609221
5	Rajinder Kumar	GPF	Safai Karamchari	100134001003673	169647
6				**Total**	**2366904**

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

पृष्ठ 108

C पैरा संख्या 13 में सन्दर्भित

परिशिष्ट "22"

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan (HP)

Statement of NPS Bank account Balances as on 31.3.2023.

Sr. No.	Employees Name		Designation	Account No.	Balance as on 31-3-2023
1	Sh. Ajay Garg	CPF	Secretary	100134002100408	120977
2	Sh. Ram Karan Verma	CPF	Jr.Asstt.	100134001100117	262380
3	Susheel Kumar	CPF	Jr. Engg.	100134001100423	864545
4	Laxmi Kumari	CPF	Clerk	100134001100612	699756
5	Suresh Kumar	CPF	Safai Karamchari	100134001003051	626820
6	Ramesh Chand	CPF	Beldar	100134001006488	408509
7	Sarita Devi	CPF	Peon	100134029100031	260441
				Total	3243428

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

109

परिशिष्ट 23"

(पैरा संख्या 14.1 से सन्दर्भित

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हि० प्र०			
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना में वर्ष 2022-23 में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का विवरण			
क्र० सं०	दिनांक	रो० व प्र०	व्यय राशि
1	01.04.2022	50	52800
2	02.05.2022	56	36050
3	01.06.2022	74	27300
4	01.07.2022	86	26950
5	01.08.2022	92	26950
6	01.09.2022	98	46550
7	03.10.2022	104	48300
8	07.11.2022	110	32200
9	02.12.2022	116	63000
10	02.01.2023	122	88200
11	01.02.2023	128	91700
12	01.03.2023	134	89950
			629950

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

परिशिष्ट "24"

पैरा संख्या 14.2 में सन्दर्भित

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हि० प्र०					
नगर पंचायत द्वारा वेस्ट पिकर्ज व् मकान मालिकों से सिंगल प्लास्टिक का Buy Back Policy के तहत किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का विवरण					
क्र० सं०	दिनांक	रो० व प्र०	मात्रा	दर	भुगतान राशि
1	01.04.2022	50	1207 Kg	75	90525
2	02.05.2022	56	1207 Kg	75	90525
3	01.06.2022	74	1260 Kg	75	94500
4	01.07.2022	86	1180 Kg	75	88500
5	01.08.2022	92	1087 Kg	75	81525
6	01.09.2022	98	1292 Kg	75	96900
7	03.10.2022	104	1288 Kg	75	96600
8	07.11.2022	110	1265 Kg	75	94875
9	02.12.2022	116	1039 Kg	75	77925
10	02.01.2023	122	1208 Kg	75	90600
11	01.02.2023	128	1169 Kg	75	87675
12	01.03.2023	134	1096 Kg	75	82200
					1072350

Secretary
Nagar Panchayat, अर्की

-114-

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan H.P.

Statement of Energy Charges, Line Maintenance Charges & Late Payment Charges of Street Light Bill Payments Given to the Electricity Board

1. Con. ID No:- 100003000025

Month	Opening Balance	Energy Charges @ 4.95/5.15 including meter Rent/MC Tax/Fixed Charges/Subsidy	Line MTC Charges	Late Payment Charges	Total	Realization	Closing Balance
03/2022	370925	4170.05	5062.64	5693.24	385850.93	0	385851
04/2022	385851	4715.62	4194.96	3666.22	398428	150000	248428
05/2022	248428	4641.18	4340.16	3855.65	261265	0	261265
06/2022	261265	3990.2	4050.64	4033.86	273339.7	0	273339.7
07/2022	273339.79	4183.42	4484.48	4224.14	286232	0	286232
08/2022	286232	3284.66	3905.44	4395.16	297817	0	297817
09/2022	297817	4148.2	4918.32	4596.84	311480	0	311480
10/2022	311480	4010.08	4050.64	4786.5	324327	0	324327
11/2022	324327	6514.55	4340.16	5020.74	340203	0	340203
12/2022	340203	6236.44	4194.96	0	350634	0	350634
Total		45894.4	43542.40	40272.35		150000	

112

2. Con. ID No:- 100003000000							
Month	Opening Balance	Energy Charges @ 4.95/5.15 including meter Rent/MC Tax/Fixed Charges/Subsidy	Line MTC Charges	Late Payment Charges	Total	Realization	Closing Balance
03/2022	476023.94	10537.1	8054.2	7409.95	502025	0	502025
04/2022	502025	10545.43	6673.8	4782.79	524027.02	200000	324027
05/2022	324027	8886.04	6904.8	5090.85	344908	0	344908
06/2022	344908	7653.69	6444.2	5378.22	364383	0	364383
07/2022	364383	7662.82	7134.4	5680.39	384860	0	384860
08/2022	384860	7325.27	6213.2	5968.24	404367	0	404367
09/2022	404367	8019.65	7824.6	6294.95	426506	0	426506
10/2022	426506	10058.57	6444.2	6636.33	449645	0	449645
11/2022	449645	10396.12	6904.8	6994.77	473941	0	473941
12/2022	4739941	11643.8	6673.8	0	492258.6	0	492258.6
Total		92728.49	69272	54236.49		200000	

-116-

3. Con. ID No:- 100003000019

Month	Opening Balance	Energy Charges @ 4.95/5.15 including meter Rent/MC Tax/Fixed Charges/Subsidy	Line MTC Charges	Late Payment Charges	Total	Realization	Closing Balance
03/2022	124802	166.85	1035.63	1887.7	127892	0	127892
04/2022	127892	138.25	858.06	1930.32	130819	0	130819
05/2022	130819	143.01	443.88	1968.1	133374	0	133374
06/2022	133374	133.48	414.27	2005.84	135928	0	135928
07/2022	135928	28.78	458.64	2043.25	138458	0	138458
08/2022	138458	128.71	399.42	2081.82	141068	0	141068
09/2022	141068	162.08	503.01	2123.03	143856	0	143856
10/2022	143856	133.48	414.27	2163.05	146567	0	146567
11/2022	146567	143.01	443.88	2204.3	149359	0	149359
12/2022	149359	138.25	429.03	0	149925.85	0	149925.85
Total		1315.9	5400.09	18407.41			

71 [illegible]

- 117 -

4. Con. ID No:- 100003000009							
Month	Opening Balance	Energy Charges @ 4.95/5.15 including meter Rent/MC Tax/Fixed Charges/Subsidy	Line MTC Charges	Late Payment Charges	Total	Realization	Closing Balance
03/2022	56995	184.11	1035.63	872	59087	0	59086.74
04/2022	59087	138.25	858.06	900.02	60983	0	60983
05/2022	60983	143.01	443.88	922.32	62492	0	62492.21
06/2022	62492	133.48	414.27	944.37	63985	0	63985
07/2022	63985	28.78	458.64	965.86	65438	0	65438.28
08/2022	65438	297.81	399.42	990.8	67126	0	67126.03
09/2022	67126	862.85	503.1	1026.11	69518	0	69518.06
10/2022	69518	2673.15	414.27	1087.64	73693	0	73693.06
11/2022	73693	3050.46	443.88	1156.2	78343	0	78343
12/2022	78343	2772.35	429.03	0	81544.76	0	81544.76
Total		10284.25	5400.18	8865.32			

Total Outstanding Amount Till 12.2022 in above Consumer IDs As givan below		
Sr. No.	Consumer ID	Outstanding Amount
1	100003000025	350634
2	100003000000	492258.60
3	100003000019	149925.85
4	100003000009	81544.76
	Total	1074363.21

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

1145

परिशिष्ट "26"

पैरा संख्या 15.2 में सन्दर्भित

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हि० प्र०				
अवधि 4/2022 से 3/2023 के दौरान निर्माण कार्यों से काटी गई रायल्टी राशि का विवरण				
क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं० व् पृष्ठ	रायल्टी की राशि
1	C/o Ambulance Road from H/o Sh. Shri Ram upto Revenue colony (S.A.K.B. Road) W.N. 7	Nishant Gupta	2/2021 & 79 to 82	11958
2	C/o Matirial Recovery facility center and hazardous waste collection center at S.W.M. site W.N. 3	Ajay Singh	1/2022 & 17 to 26	23273
4	Repair of water bawari at mathi W.N. 3	Nishant Gupta	1/2021 & 49	1787
5	Repair of park at W.N. 3	Mohan Lal	1/2022 & 28 to 29	11184
6	Repair of Ambedkar bhawan at W.N. 7	Heera Singh	1/2022 & 52 to 53	12226
	Total			60428

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

परिशिष्ट "27"

(पैरा संख्या 15.3 में सन्दर्भित)

नगर पंचायत अर्की, जिला सोलन हि० प्र०				
अवधि 4/2022 से 3/2023 के दौरान निर्माण कार्यों से काटे गये श्रम कर की कटौती का विवरण				
क्र० सं०	कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका सं० व् पृष्ठ	श्रमकार की राशि
1	C/o Matirial Recovery facility center and hazardous waste collection center at S.W.M. site W.N. 3	Heera Singh	1/2021 & 33 to 40	7629
2	c/o new toilet block at W.N. 5 near gaushala	Hem Lata Gupta	2/2021 & 69 to 74	2392
3	C/o Play ground and parking in Arki	Hem Lata Gupta	1/2021 & 97 to 99	5214
4	Paver Block in Main Bazar	SKS Builder Baddi	1/2021 & 39 to 42	9280
5	C/o Ambulance Road from H/o Sh. Shri Ram upto Revenue colony (S.A.K.B. Road) W.N. 7	Nishant Gupta	2/2021 & 79 to 82	2002
6	C/o Matirial Recovery facility center and hazardous waste collection center at S.W.M. site W.N. 3	Ajay Singh	1/2022 & 17 to 26	6070
7	C/o path in ward no 7 village shakani	Nishant Gupta	2/2016 & 99 to 100	247
8	Repair of water bawari at mathi W.N. 3	Nishant Gupta	1/2021 & 49	730
9	C/o Toilet block near aanand math (mathi) W.N. 3	Yograj	1/2022 & 16	2169
10	Repair of park at W.N. 3	Mohan Lal	1/2022 & 28 to 29	1498
11	Supply of dcondary storage bins	Nishant Gupta	1/2022 & 31	672
12	Repair of Ambedkar bhawan at W.N. 7	Heera Singh	1/2022 & 52 to 53	6474
13	Repair of Path from H/o Sh Kapuru Ram up to water bawari W.N. 2	Mohan Lal	2/2014 & 2/2021 75 to 79,98 to 100	2379
	Total			46756

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

-120-

Deviation Statement of Completed Works as on 31.03.2023

Nagar Panchayat Arki Distt. Solan.

Sr. No.	Name of Work	Award Letter No.	Tender Amount	Expenditure	Deviation Amount	Deviation %	Excess/ Less
1	C/o Ambulance Road from H/o Sh. Shri Ram upto Revenue colony (S.A.K.B. Road) W.N. 7	NPA/work/2016-716 dated 18/8/22	197205	200243	-3038	1.54%	Excess
2	Repair of water bawari at mathi W.N. 3	NPA/work/2016-717 dated 18/8/22	78190	72989	5201	6.65%	Less
3	C/o Toilet block near aanand math (mathi) W.N. 3	NPA/work/2016-63dated 20/1/22	230052	216880	13172	5.73%	Less
4	Repair of main bazar road W.N. 4 & 5	NPA/work/2016-488 dated 27/5/22	997871	927967	69904	7.00%	Less
5	c/o new toilet block at W.N. 5 near gaushala	NPA/work/2016-64 dated 20/1/22	591577	594091	-2514	0.42%	Excess
6	C/o Matirial Recovery facility center and hazardous waste collection center at S.W.M. site W.N. 3	NPA/work/2016-715 dated 18/8/22	687006	606997	80009	11.64%	Less
7	Repair of park at W.N. 3	NPA/work/2016-47 dated 6/1/23	200936	149770	51166	25.46%	Less
8	Supply of dcondary storage bins	NPA/work/2016-48 dated 6/1/23	66059	67166	-1107	1.68%	Excess
9	Repairmof Ambedkar bhawan at W.N. 7	NPA/work/2016-49 dated 6/1/23	782929	647417	135512	17.30%	Less

Secretary
Nagar Panchayat, Arki

118

C शेष संख्या 15.4 से समाप्त

परिशिष्ट "8"